ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 56 अंक : 2 | दिसम्बर 2009 | मूल्य : 10 रुपये

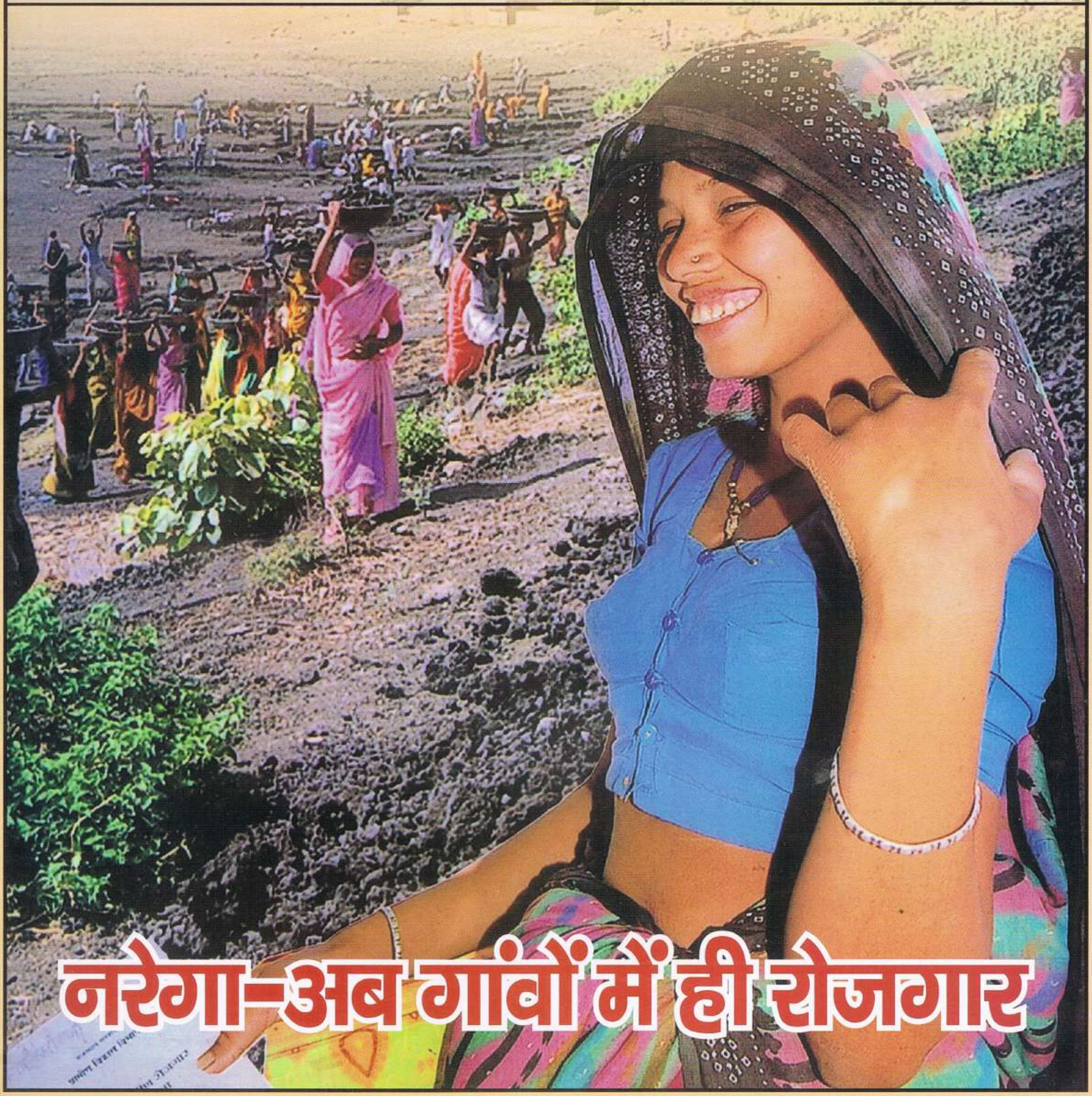

नरेगा–अब गांवों में ही रोजगार

"हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आँख से हर आँसू पोंछने की रही है। यह शायद हमारे लिए कर पाना मुश्किल हो, परन्तु जब तक आँसू और पीड़ा हैं, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा।"

जवाहरलाल नेहरू

जवाहरलाल नेहरू

की 120वीं वर्षगांठ की स्मृति में

davp 22201/13/0005/0910

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48, अग्रहायण–पौष 1931, दिसम्बर 2009

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ सम्पादक
कैलाश चन्द मीना

सम्पादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

★ 'नरेगा' गरीबों का सुरक्षा कवच	डॉ. जगबीर कौशिक	3
★ आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान	डॉ. सुरेन्द्र कटारिया	9
★ नरेगा-ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान	डॉ. अतुल कुमार तिवारी	13
★ नरेगा ने खोले गांवों में रोज़गार के नए द्वार	सुभाष सेतिया	17
★ विकास की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी	घनश्याम वर्मा	21
★ ग्रामीण विकास राज्यमंत्री से साक्षात्कार	–	24
★ नरेगा परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव	डॉ. एस. के. वर्मा एवं डॉ. विनीता कटियार	26
★ ग्रामसभा और नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण	डॉ. निमिषा गौड़	29
★ नरेगा से बिहार में गांवों की बदलती तस्वीर	डॉ. रमेश कुमार सिंह	33
★ बहूपयोगी जौ की खेती	डॉ. वाई.एस. शिवे	37
★ तुलसी आस्था से आरोग्य तक	डॉ. जी.के. सिंह एवं दीपांकर शर्मा	42
★ रोजगार गारंटी योजना से बदली देलगांव की तस्वीर	ए.कमर	46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कई विकास तथा रोजगारपरक योजनाएं चलाई गई। इन कार्यक्रमों का मूल उद्‌देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। नरेगा भी इसी क्रम में एक प्रयास है । अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा) पारित किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी, 2006 को इस योजना की शुरूआत की गई। 2 अक्तूबर, 2009 को बापू की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इसका नया नामकरण किया। अब नरेगा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से पुकारा जाएगा।

प्रारंभिक चरणों में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007–08 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया और 5 वर्ष के मूल लक्ष्य से पहले तीन वर्ष के भीतर 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क अकुशल श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्त वर्ष में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अभी हम लक्ष्य से दूर हैं।

नरेगा कई मायनों में दूसरी सरकारी योजनाओं से अलग है। इसने ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे फायदा पहुंचाया। इसके तहत पिछले तीन सालों में 4 करोड़ 47 लाख परिवारों को रोजगार मिला। इस दौरान नरेगा ने ग्रामीण बेरोजगारों को 215 करोड़ दिन का रोजगार दिया । यही नहीं नरेगा के लिए खर्च राशि में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2006–07 में जहां 8600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया वहीं वित्त वर्ष 2009–10 में नरेगा पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

नरेगा से जहां ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिला है वहीं पैसा हाथ में आने से गांवों के लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ी है जिससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिला है। यही नहीं नरेगा के तहत गांवों में ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही गांवों का विकास भी हो रहा है। नरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार पर जोर दिया गया है जिसके अंतर्गत भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए कृषि कार्य करना है। सूखे से बचाव के लिए नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नरेगा की बदौलत भारतीय डाक विभाग को भी नई संजीवनी मिल गई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2008–09 में डाकघरों में 3.12 करोड़ नए बचत खाते खोले गए हैं जिसमें से एक करोड़ खाते केवल आंध्र प्रदेश में खोले गए।

जाहिर तौर पर हर बदलाव का कोई न कोई दुष्प्रभाव तो होता ही है। रोजगार गांरटी कार्यक्रमों को लेकर भी यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि योजना के अंतर्गत कृत्रिम रोजगारों की वृद्धि से मुख्य रोजगार की हानि होगी। इससे हानिकारक दुष्चक्र स्थापित हो सकता है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह कानून लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियां लाने में मददगार साबित हो रहा है । इससे ग्रामीण गरीब तबके का जीवनस्तर ऊपर उठाने में मदद मिल रही है और देश समाजवाद की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। 'लालगढ़ प्रकरण' के पश्चात नरेगा को नक्सलवाद से जूझने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया गया है चूंकि ऐसा देखने में आया है कि जिन जिलों का आर्थिक–सामाजिक सूचकांक निम्न–स्तरीय रहा है वही जिले नक्सलवाद या माओवादी हिंसा के भी शिकार हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि इस योजना को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए प्रभावी नियंत्रक व पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। इसके लिए सामाजिक ऑडिट की अनिवार्य व्यवस्था हेतु हर स्तर पर नियमित रूप से निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है और राज्यों को नरेगा के प्रत्येक कार्य का तीन महीने के भीतर सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है । उम्मीद है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने से आने वाले समय में यह कानून और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'नरेगा' गरीबों का सुरक्षा कवच

डॉ. जगबीर कौशिक

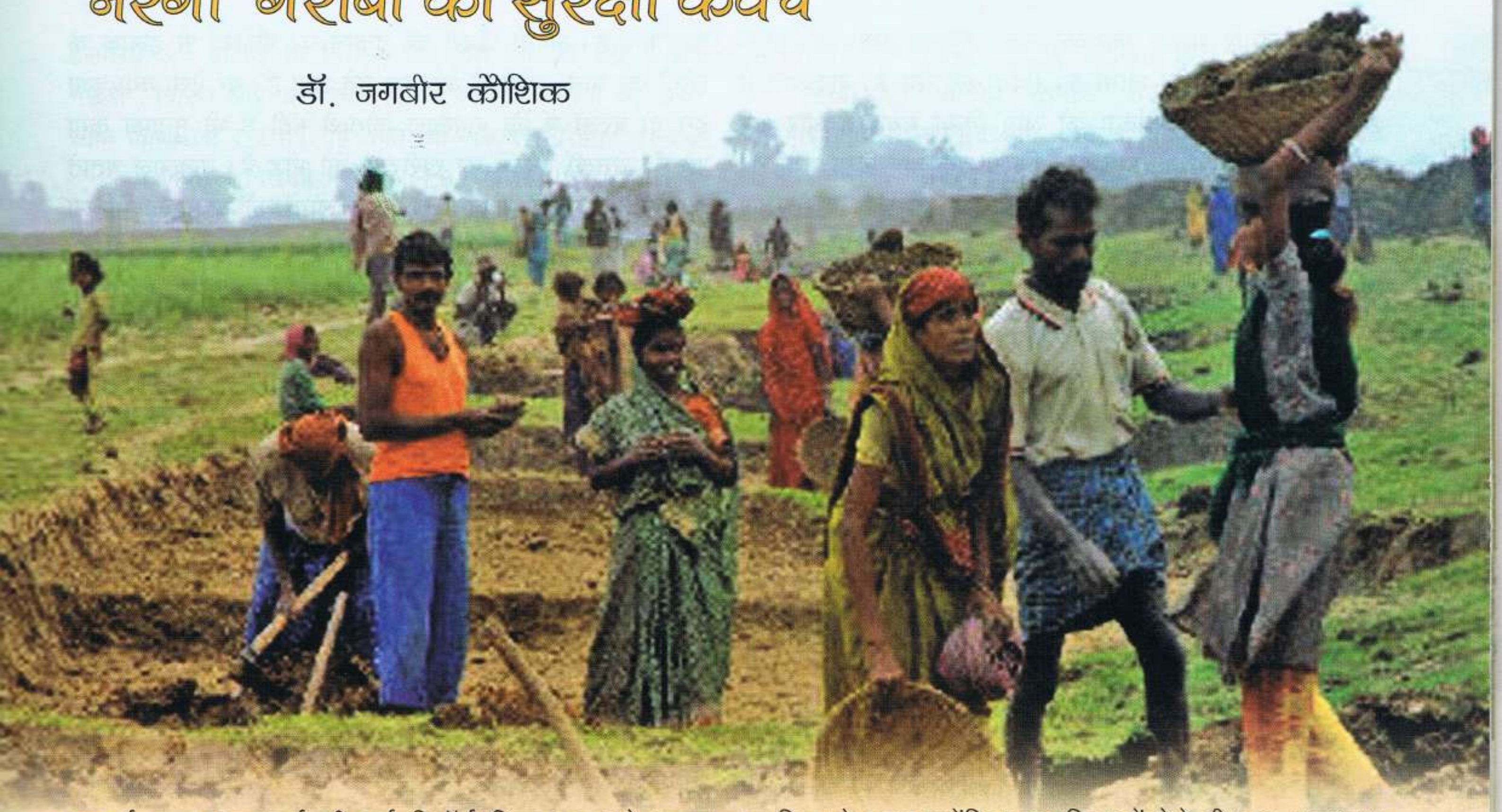

वर्ष 2007 तक दर्ज की गई रिकॉर्ड विकास दर के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण स्थान हासिल हुआ लेकिन वैश्विक मंदी के पिछले एक साल के दौरान आर्थिक विकास की सूरत बदल गई। प्रशासनिक मोर्चे पर कई कदम उठाए गए और इनमें से ज्यादातर जमीनी स्तर से संबंधित हैं। ये कदम टिकाऊ साबित हो सकते हैं और आज के नायकों को पीछे देखते समय एक तरह के संतोष का एहसास हो सकता है।

आखिर कैसे ऐसी प्रशासनिक संरचना, जो दशकों से नतीजे देने में असफल रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई और उसने बेहतर नतीजों की नई बुनियाद तैयार कर दी? इसका श्रेय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा अपनाई गई नई सोच को जाता है। इस संस्थान ने समय–समय पर खास सलाह दी, जो उससे पहले उपलब्ध नहीं थी। ये सलाह जांची–परखी और व्यावहारिक थी। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इस परिषद् में ऐसे तीन अलग–अलग समूहों को शामिल किया गया जो आमतौर पर एक साथ नहीं आते थे। ये समूह हैं– सामाजिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और कुछ विद्वान। और प्रशासन इनकी सिफारिशों की अनदेखी नहीं कर सकता था।

इस परिषद् का गठन सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसकी मदद करने के लिए किया गया था। इस परिषद् में कुल नौ सदस्य थे। इनमें से चार सामाजिक क्षेत्र की जानी–मानी हस्तियां सहबा हुसैन, अरूणा रॉय, माधव चव्हाण और ज्यां ट्रेज शामिल हैं। परिषद् अपने कामकाज के लिए 5 में से 4 अंक पाने का दावा कर सकती है। परिषद् के कामकाज की छाप के तौर पर तीन महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने हैं– सूचना का अधिकार कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिकार कानून।

अब जबकि आर्थिक मंदी हमारे ऊपर मंडराने लगी है और जो लोग निर्माण या दूसरे क्षेत्रों में रोजगार को खो चुके हैं, अब अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में रोजगार गारंटी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। कम्प्यूटर और स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल के कारण यह योजना अच्छी तरह से काम कर सकी है। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की बात भी सामने आई है, खासतौर से उन राज्यों में जहां प्रशासनिक व्यवस्था खस्ताहाल है। लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुछ हद तक साक्षरता और एक सक्रिय स्वयंसेवी संगठन काम कर रहा है, या प्रशासन प्रतिबद्ध है, वहां लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक अभिनव प्रयोग है जोकि जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की मदद कर रहा है। शुरूआत में 200 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया था और अब इसका विस्तार देश के सभी 614 जिलों तक कर दिया गया है। यह योजना कारगर रही है। इसका प्रमाण यह है कि अब रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की जा रही है।

ग्रामीण विकास की डगर – 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की गारंटी और इसमें भ्रष्टाचार का न होना पिछली सरकार की कामयाबी ही कही जा सकती है। सरकार की इस योजना से गांव के बेरोजगारों को सीधे फायदा पहुंचा। इस योजना की कामयाबी भी साबित हो चुकी है जिसके प्रकार ये हैं:–

- इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्टडी से पता चला है कि जिन जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, वहां खाने के सामान की महंगाई उन जिलों के मुकाबले ज्यादा थी, जहां योजना लागू नहीं की गई थी। इससे साबित होता है कि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को खर्च करने की ताकत दी है।
- पंजाब में दूसरे राज्यों से मजदूर अब नहीं आ रहे। यहां बिहार से पहले बड़ी संख्या में मजदूर आते थे। मजदूरों के बिहार में रहने को नरेगा की कामयाबी माना जा रहा है।

पिछली सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की थी। अगर आज सरकार उनमें से किसी एक पर जोर देने की सोचे तो पहला नंबर नरेगा का ही होगा। यह उन गिनी–चुनी योजनाओं में से है, जिसमें बिचौलिए अपनी खास कारगुजारी नहीं दिखा पाए।

आंकड़े भी नरेगा की कामयाबी की कहानी कहते हैं। इससे पिछले तीन सालों में 4.47 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला। इस दौरान नरेगा ने 215 करोड़ दिन का रोजगार ग्रामीण बेरोजगारों को दिया। योजना की कामयाबी की भला इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। नरेगा में 27 लाख प्रोजेक्ट शामिल किए गए, जिनमें से 12 लाख पूरे हो चुके हैं। नरेगा कई मायनों में इस तरह की दूसरी सरकारी योजनाओं से अलग है। दरअसल, इसने ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे फायदा पहुंचाया। नरेगा को लागू करने में पिछली सरकार ने अहम भूमिका निभाई।

रोजगार गारंटीः मंदी में बाजार की संजीवनी – आप लोग कहते हो कि यह मंदी का दौर है पर मेरी दुकान से पिछले तीन दशकों में किसी भी साल इतना सोना–चांदी नहीं बिका जितना इस एक–दो साल में बिका है। बाबूलाल कोठारी राजस्थान के एक पिछड़े जिले राजसमंद में भीम तहसील के रहने वाले हैं। पेशे से स्वर्णकार हैं। अपनी जेवरों की दुकान पर पीढ़ियों से इलाके के लोगों को सोने–चांदी के आभूषण देते आए हैं। पर ऐसा क्या हुआ इन दो बरसों में कि बाबूलाल कोठारी मंदी में भी मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी दुकान पर खरीदारों की भीड़ है। बाबूलाल बताते हैं, रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को बहुत काम मिला है और इस योजना में सबसे ज्यादा काम महिलाओं ने किया है। घर की बाकी जरूरतों के लिए तो उन्हें पैसा मिला ही, अपने जेवर–गहनों की हजरतें भी वे पूरी कर रही हैं।

बाबूलाल कोठारी जैसी यह स्थिति अमूमन बाजार के कई व्यापारियों की है। राज्य में रोजगार गारंटी योजना के तहत इतना पैसा आया है कि जितना कभी किसी जिले या पंचायत स्तर पर लोगों को नहीं मिला था। इस पैसे की आमद का असर बाजार पर दिख रहा है। बाबूलाल बताते हैं, अधिकतर खरीदार उस वर्ग के हैं जोकि गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और जिन्हें अब अरसे बाद एकमुश्त पैसा हाथ में मिला है। इन घरों में लोहे के बक्से खरीदे जा रहे हैं।

राज्य के अजमेर जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत मिले काम की थाह लेते वक्त मैंने बात की वहां के जिला पंचायत अधिकारी से और पूछा कि वार्षिक स्तर पर कितना पैसा इस योजना के तहत जिले को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 330 करोड़ रुपये केवल अजमेर के लोगों को इस योजना के तहत मिले हैं और वो भी एक वित्तीय वर्ष (2008–09) में। 100 दिन की मजदूरी के प्रावधान की तुलना में 93 कार्यदिवसों के औसत के साथ ढाई लाख से ज्यादा परिवार इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे बताते हैं, निःसन्देह किसी भी जिले में इससे पहले इतना पैसा किसी योजना के तहत एक साल में नहीं आया। कई बार तो राज्य के सूखा राहत कार्यक्रम का कुल बजट इसके आसपास होता था। अब इतना पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है।

वह बताते हैं, इसका सीधा असर बाजार और निम्न वर्ग के जीवन स्तर पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों को सीधे उनके हाथ में पैसा मिलना शुरु हुआ है। मजदूरी का भुगतान बैंकों के जरिए हो रहा है और इसकी वजह से चोरी या अनियमितता की गुंजाइश कम हुई है। लोगों को तय मजदूरी मिली है। इसका असर उनके खानपान, जरूरत के सामान की क्रय क्षमता, बच्चों की पढ़ाई और पहनावे तक पर दिखाई देता है।

बाजार नहीं सामाजिक योजनाओं पर बल – अर्थनीति को बाजार की ताकतों पर छोड़ने के बावजूद विकास हुआ है लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन को देखने से पता चलता है कि ये नाकाम भी रही है।

इसलिए अब बाजार के नियमन की बात की जा रही है और गरीबी निवारण और असमानता दूर करने की नीतियों का रास्ता साफ किया जा रहा है। यह वक्त की जरूरत भी है।

अगर पिछले वित्तवर्ष में भारत ने 6.7 फीसदी की विकास दर हासिल की है तो इसलिए कि नरेगा, ऋण माफी, अर्बन रिन्यूवल मिशन, भारत निर्माण जैसे कार्यक्रमों का असर हुआ है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का न सिर्फ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि इनकी मॉनीटरिंग भी होनी चाहिए। नरेगा के मामले में भ्रष्टाचार करने वाले कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। इन कार्यक्रमों की सोशल ऑडिटिंग जरूरी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सी पी जोशी ने कार्यभार संभालते ही यह घोषणा कर दी कि उनकी पहली प्राथमिकता नरेगा का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन है।

नरेगा से कंपनियों को लाभ – फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एंफएमसीजी) उद्योग ने सरकार से ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों को जारी रखने का आग्रह किया है। उद्योग के अनुसार इन स्कीमों से पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिल रहा है।

डाबर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुग्गल ने कहा, 'हम उम्मीद करते है कि सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों को जारी रखकर ग्रामीण सेक्टर पर अपना फोकस बनाए रखेगी।' उन्होंने कहा कि इन उपायों से ग्रामीण इलाकों और गांवों में वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिलेगा जिससे एमएमसीजी उद्योग के विकास की राह आसान होगी।

गौरतलब है कि ग्रामीण सेक्टर की मांग की वजह से एक लाख करोड़ रुपये के इस उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग 17 से 18 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की, जबकि सामान के निर्माण की लागत में लगातार वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही और वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में वैश्विक आर्थिक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोरा।

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में एफएमसीजी की कुल बिक्री में ग्रामीण बाजार का योगदान 35 प्रतिशत से अधिक है। गोदरेज समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आदि गोदरेज ने कहा कि हमें सरकार से कर संबंधी किसी राहत की उम्मीद नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च करके गति बनाए रखे। उनके अनुसार ऐसा करना न सिर्फ एफएमसीजी सेगमेंट के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा।

रोजगार गारंटी योजना से डाकघर भी मालामाल – कोरियर कंपनियों की चुनौती से निपटने के लिए तमाम तरकीब आजमा रहे भारतीय डाक विभाग को नई संजीवनी मिल गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) भारतीय डाक व्यवस्था को पुराना गौरव लौटाने में भी मदद कर रही है। इस योजना के तहत कारोबारी साल 2008–09 में डाकघरों में 3.12 करोड़ नए बचत खाते खोले गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस योजना के लिए डाकघरों में एक करोड़ खाते खोले गए हैं। भारतीय डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कारोबारी साल 2009–10 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच सकती है और रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल वितरण 10,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है।

उन्होंने बताया, 'इंडिया पोस्ट के माध्यम से अब तक रोजगार गारंटी योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपये बांटे गए हैं और जल्दी ही इस आंकड़े में 150 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के लिए योजना को मुख्य वाहक माना जा रहा है।'

ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस योजना को देखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,' इस योजना के लिए राजस्थान में 48 लाख नए डाक बचत खाते खोले गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 40 लाख ग्रामीणों ने डाकखानों में नए खाते खोले हैं। बिहार के डाकखानों में 28 लाख नए बचत खाते खोले गए हैं जबकि उत्तर–पूर्व के राज्यों में 3 लाख नए खाते खोले गए हैं। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पैसा पंचायतों के माध्यम से दिया जाता है। सरकार ने कारोबारी साल 2009–10 के आम बजट में एनआरईजीएस के लिए आवंटन 144 फीसदी बढ़ाकर 39,100 करोड़ रुपये कर दिया है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस योजना को भारी सफलता मिली है।

बहरहाल अधिकारियों का कहना है कि किसी राज्य में एनआरईजीएस के तहत खाते कम खुलने का यह मतलब नहीं है कि वहां इस योजना का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। कई राज्य मजदूरी के भुगतान के लिए खाते खोलने को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं और इसकी जगह भुगतान सीधे नकद किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत फंड का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इस पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत हम सभी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना बना रहे हैं। हमने राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बना लिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऐसी

पहली योजना है जिसे पूरी तरह आईटी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से लागू किया जा रहा है। रोजगार गारंटी कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को 100 दिन निश्चित रूप से रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण परिवारों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को देश भर में काफी अच्छी सफलता मिली है।

रोजगार गारंटी नहीं रोजगार सब्सिडी – आम आदमी को रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प स्वागत योग्य है। इस संकल्प को दो तरह से हासिल किया जा सकता है। पहला रास्ता है कि व्यापारियों पर टैक्स लगाकर रकम हासिल की जाए और उस रकम का उपयोग रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया जाए जैसाकि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। दूसरा रास्ता है टैक्स की वसूली पूंजी–सघन उद्योगों से की जाए और प्राप्त रकम को श्रम–सघन उद्योगों को रोजगार सब्सिडी के रूप में दिया जाए। सरकार पहले रास्ते पर चल रही है। सरकार द्वारा पूंजी–सघन और श्रम–सघन उद्योगों पर बराबर दर से टैक्स की वसूली की जा रही है। इस रकम का उपयोग सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।

ऐसी ही योजना तमाम पश्चिमी देशों द्वारा पिछले 30–40 वर्षों में लागू की गई है। अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. एडमन्ड फेलप्स ने इन कार्यक्रमों का आकलन इस प्रकार किया हैः "यद्यपि ऐसे कार्यक्रम अमरीका और यूरोप में बड़े पैमाने पर चलाये गए हैं परन्तु गरीब श्रमिक की हालत पूर्ववत् खस्ता है। वास्तव में इन योजनाओं पर किए गए खर्च ने परिस्थिति को और अधिक विकट बना दिया है। बेरोजगार श्रमिकों में परावलम्बन की भावना बढ़ी है। वे वाणिज्यिक रोजगार हासिल करने में कम रुचि ले रहे हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता का ह्रास हो रहा है। रोजगार देने वाले मालिक के प्रति श्रमिक की निष्ठा कम हो रही है।"

प्रो. फेलेप्स ने विकल्प इस प्रकार बताया हैः "अकुशल श्रमिकों के वेतन पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाए। प्रत्येक कार्यरत अकुशल श्रमिक को रोजगार देने पर उद्यमी को कुछ रकम दी जाए। श्रम–सघन उद्योग को सब्सिडी दी जाए। इससे उद्यमियों के लिए श्रम का अधिक उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा और बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में लगाना जरूरी हो जाएगा।" प्रो. फेलेप्स द्वारा दिये गए सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए।

प्रो. फेलेप्स द्वारा दिया गया सुझाव उद्यमियों और श्रमिकों दोनों के लिए लाभप्रद है। वर्तमान व्यवस्था में शहरी उद्यमी पर टैक्स लगाकर गांव में रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया जाता है। टैक्स की अदायगी शहरी उद्यमियों को करनी पड़ती है जबकि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। उद्योगों के लिए यह घाटे का सौदा है। उद्यमों में वेतन दरों में वृद्धि का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंर्तगत न्यूनतम वेतन उपलब्ध होने से श्रमिकों की रोजगार की खोज में दूसरे स्थानों पर जाने की इच्छा कम हो जाती है जैसे बिहार के श्रमिक पंजाब जाने से कतरा रहे हैं। कारण यह कि उन्हें रोजगार गारन्टी के तहत कुछ रोजगार अपने गांव में ही उपलब्ध हो गए हैं। फलस्वरूप पंजाब के किसानों को वेतन बढ़ाकर देने पड़ रहे हैं। इस प्रकार उत्पादक अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ती है और अन्ततः रोजगार घटते हैं। प्रो. फेलेप्स के सुझाव का प्रभाव विपरीत है। उत्पादक अर्थव्यवस्था चुस्त होती है चूंकि श्रम का मूल्य कम हो जाता है।

टैक्स के आकार में भी सुधार की सम्भावना है। वर्तमान व्यवस्था में सरकार सभी उद्योगों पर एक समान दर से टैक्स आरोपित कर रही है। दस हजार श्रमिकों को रोजगार देने वाले रसवंती उद्योग एवं एक हजार उद्योगों को रोजगार देने वाले बोतलबन्द शीतल पेय उद्योग पर सरकार एक ही समान दर से टैक्स आरोपित कर रही है। यदि बोतलबन्द शीतल पेय उद्योग मात्रा से टैक्स वसूला जाए तो बोतलबन्द पेय का दाम बढ़ेगा, तुलना में रसवन्ती सस्ती जाएगी, रसवन्ती की बिक्री बढ़ेगी और रोजगार में वृद्धि होगी। अतः सरकार को सभी व्यापारियों का श्रम आडिट कराना चाहिए। अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले करदाता पर टैक्स की दर कम कर देनी चाहिए। इससे श्रम सघन उद्योगों में वृद्धि होगी और बिना खर्च किए ही रोजगार का सृजन होगा।

रोजगार सब्सिडी का श्रमिकों की मानसिकता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन में ही रोजगार बनते हैं। उत्पादन के दौरान श्रमिक की क्षमता में सुधार होता है। जैसे स्कूटर रिपेयर करने वाला बालक समयक्रम में उस्ताद बन जाता है। यदि वह बालक रोजगार गारन्टी के अर्न्तगत सड़क और चेकडैम बनाता रहता है तो उसकी क्षमता में यह सुधार नहीं होता। इसके अतिरिक्त रोजगार गारन्टी में श्रमिकों की मानसिकता परावलम्बन की बनती है। वे ग्राम प्रधान पर निर्भर हो जाते हैं और आस लगाये पूछते रहते हैं कि काम कब चालू होगा? वे दस कारखानों में जाकर काम ढूंढना बन्द कर देते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह रोजगार उपलब्ध कराये। उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा जाता रहता है और मुफ्त वेतन पाने की प्रवृत्ति पनपती है।

तथापि इतना सही है कि रोजगार गारन्टी कार्यक्रम से श्रमिकों की ऊंचे वेतन मांगने की ताकत बढ़ जाती है। जैसे रोजगार गारंटी की छत्रछाया में बिहार के श्रमिक पंजाब जाने के लिए 200 रु. के स्थान पर 300 रु. की दिहाड़ी की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस वेतन वृद्धि का श्रमिकों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा परन्तु इस सुधार के टिकाऊ होने में संदेह है। कारण यह कि ऊंचे वेतन के कारण मालिक का धंधा चौपट हो जाता है।

याद करे कि सत्तर एवं अस्सी के दशक में दत्ता सामंत के नेतृत्व में मुम्बई की कपड़ा मिलों ने ऊंचे वेतन मांगे थे। अन्तिम परिणाम यह हुआ कि मुम्बई की कपड़ा मिलें बन्द हो गई। यह उद्योग गुजरात एवं तमिलनाडु को पलायन कर गया। मुम्बई के श्रमिक बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार ऊंचे वेतन से त्रस्त होकर केरल में किसानों ने श्रम सघन फसलें जैसे धान एवं केले का उत्पादन कम कर दिया है और काफी एवं नारियल का बढ़ा दिया है। फलस्वरूप केरल के श्रमिकों को रोजगार कम मिल रहे हैं। रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। योजना के अंतर्गत कृत्रिम रोजगार की वृद्धि से मुख्य रोजगार की हानि होगी। इससे हानिकारक दुश्चक्र स्थापित हो सकता है। उद्यमों पर टैक्स लगाकर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम चलाया गया। इससे वेतन में वृद्धि हुई। टैक्स और ऊंचे वेतन के दबाव में रोजगार बन्द होने लगे। नवबेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विस्तार करना पड़ा। बचे हुए उद्यमों से अधिक मात्रा में टैक्स की वसूली करनी पड़ी। इससे और उद्यम बन्द हुए और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इस प्रकार भंवर स्थापित हो जाता है जो उत्तरोत्तर रोजगार का भक्षण करता है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था परन्तु इससे कार्यरत रोजगारों का ही क्षय होने लगेगा। इन प्रभावों को देखते हुए सरकार को रोजगार गारन्टी के स्थान पर रोजगार सब्सिडी योजना लागू करनी चाहिए।

पहलू दूसरा भी है – बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की 'शानदार सफलता' पर अभिभूत दिखे, लेकिन इसके केवल एक दिन बाद इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के मुखिया ग्रामीण विकास मंत्री श्री सी पी जोशी ने इस उत्साह को ठंडा कर दिया। जोशी के मुताबिक यह योजना सही ढंग से लागू नहीं हुई है। उनका कहना है कि इसके जरिए औसत 100 दिन के रोजगार का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्री ने नरेगा की असफलता को राज्य सरकारों के सिर मढ़ा है। उनके अनुसार नरेगा के तहत योजना लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश भी तय किए और योजना की देखरेख के लिए एक मॉडल भी तैयार किया। इसके बावजूद राज्य सरकारें उस तरह काम करने में असफल रहीं जैसा उन्हें करना चाहिए था। 100 दिन रोजगार की गारंटी की बात करने वाली इस योजना के तहत देशभर में औसत 42–48 दिन रोजगार मुहैया कराया गया है। इस योजना के तहत 2006–07 में 43 दिन, 2007–08 में 42 दिन और 2008–09 में 48 दिन रोजगार मुहैया कराया गया है। श्री जोशी ने कहा, 'हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन रोजगार देने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है।'

राज्यों द्वारा इस योजना को ठीक से लागू न करने का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में 2006–07 में औसतन सिर्फ 35 दिन, 2007–08 में 22 दिन और 2008–09 में 22 दिन काम दिया जा सका। इसी तरह मध्य प्रदेश में इन सालों में यह औसत अवधि क्रमशः 69, 63 और 57 दिनों की रही। इसी तरह पश्चिम बंगाल में यह औसत 2006, 2007 और 2008 में क्रमशः 14, 25 और 6 दिन रहा है। राज्यों पर योजनाओं को ठीक से लागू न करने का दोष मढ़ते हुए मंत्री ने कहा,'वैसे राज्य जहां बड़ी संख्या में गरीब हैं, वहां उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग रकम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन लोगों को जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है।'

नरेगा का एक चेहरा यह भी – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी नरेगा की लोकप्रियता से उत्साहित होकर सरकार ने इस बजट में इसकी आवंटन राशि में 144 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब आवंटन राशि बढ़कर 39,100 करोड़ रुपये हो गई है। समावेशी विकास के लिहाज से यह एक बेहद अच्छा कदम माना जा रहा है लेकिन इधर इससे एक नई समस्या पैदा हुई है। नरेगा के तहत प्रति दिन सौ रुपये की मजदूरी मिल रही है वो भी उनके अपने इलाके में। इससे शहरों में कंपनियों में कामगार नहीं मिल रहे हैं।

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की रोपाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि सौ रुपये में अपने घर की मजदूरी छोड़कर वह 150 रुपये में यहां नहीं आना चाहते। इससे मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ी है लेकिन खेतीबाड़ी के काम पर इसका सीधा असर पड़ा है। चालू सीजन में किसानों को मजदूरी पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इससे मझोले किसानों पर लागत की मार पड़ रही

है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे गांव हैं, जहां इन दिनों मजदूरों का भारी टोटा है।

किसानों का कहना है कि मजदूर डेढ़ गुना मजदूरी पर भी खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं। नरेगा में मजदूरों को ज्यादा काम नहीं करना होता है, जबकि खेतों पर काम करने वालों पर किसान की सीधे निगाह रहती है। ऐसे में कोई मजदूर किसानों के खेत में काम क्यों करेगा? दरअसल यह पूरा मामला न्यूनतम मजदूरी के मामले में ढीले–ढाले नियमन से भी जुड़ा है। इस देश में न्यूनतम मजदूरी 70 से 80 रुपये के बीच है। लेकिन इसका जमकर उल्लंघन होता है। देश के कई इलाकों में मजदूरों को पचास रुपये भी मजदूरी मयस्सर नहीं होती। महिला श्रमिकों को तो पुरुष श्रमिकों से हमेशा कम पारिश्रमिक दिया जाता है। यह मजदूरी भी समय पर नहीं मिलती। ठेकेदार और उनके प्रतिनिधि उन्हें कम मजदूरी देकर ज्यादा रकम पर अंगूठा लगवा लेते हैं या दस्तखत करा लेते हैं। शहरों की फैक्टरियों में भी यही आलम है। असंगठित क्षेत्र या फिर कहे कि कई संगठित क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों के कई हक मारे जाते हैं। बगैर किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करने वाले इन मजदूरों के पास न रहने का कोई ठिकाना होता है और न बीमार पड़ने पर इलाज करने का। शहरों में ये या तो झुग्गी–बस्तियों में रहते हैं, या फुटपाथ पर निर्माण साइटों पर। ऐसे में कोई अपने सुरक्षित वातावरण से निकलकर अनजान असुरक्षित जगह पर थोड़ी–सी बढ़ी मजदूरी के लिए काम करने क्यों आएगा। बहरहाल, नरेगा से पैदा इस तरह की समस्या पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।

फरीदाबाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव चावला ने बताया कि नरेगा की वजह से फरीदाबाद में कंपनियों को कामगारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह हमारे लिए एक मौका है, जिसके जरिए कंपनियां अपनी लागत को कम करने का प्रयास करेंगी, साथ ही कर्मचारियों की दक्षता भी बढ़ाएंगी। कानपुर दाल मिल एसोसिएशन के प्रमोद जायसवाल ने बताया कि नरेगा के जरिए कामगारों को 100 रुपये प्रतिदिन की दर से उनके ही गांव में रोजगार मिल रहा है। ऐसे में कानपुर में कई मिल मालिकों द्वारा 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देने पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। इससे कानपुर की 15 दाल मिलें बंद होने के कगार पर आ गई हैं।

हर जिले में अलग ही दास्तां – ग्राम पंचायत इटवा–गुडवल में रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत 428 परिवारों की सूची पंचायत सचिव और प्रधान सोशल ऑडिट करने वाली संस्था को उपलब्ध नहीं करा सके। इतना ही नहीं, जॉब कार्डधारकों की संख्या कितनी है, यह बता पाना भी इन अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर रहा। जो पंजीकृत लोग मिले, वह भी प्रधान के खास या परिजन हैं। वे भू–स्वामी हैं और मजदूरी का काम नहीं करते। इनके पास पक्के मकान एवं ट्रैक्टर हैं जबकि इस गांव में बीपीएल परिवार नरेगा में पंजीकृत होने से वंचित रह गया है। नरेगा कानून के मुताबिक पंजीकरण के 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए लेकिन इस गांव में जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन से दो माह का समय लगा। 16 वर्ष के देवरा, संपत और 15 वर्ष के वीरेन्द्र और शिवदत्त के नाबालिग होने के बावजूद उनका जॉब कार्ड बन गया।

बड़ी अनियमितताओं वाले जिले में कुशीनगर और गोंडा भी शरीक हैं। बिशुनपुरा ब्लॉक के नंदलाल छपरा गांव के मजदूरों की मानें तो इस गांव के चिन्हित डेढ़ सौ मजदूरों में से 71 मजदूरों का जॉब कार्ड नहीं बनाया गया। मजदूरों के अनुसार चार–पांच महीने पहले ग्राम प्रधान के निर्देश पर जॉब कार्डधारी सभी मजदूरों ने 25–25 रुपये और बैंक से आए खाता खोलने के फार्म पर अंगूठा लगाकर उन्हें सौंप दिया। मजदूरों ने सोचा कि जब मजदूरी आएगी तो प्रधान के माध्यम से सूचना तो मिलेगी। मजदूरी पाने की आस में जब कई महीने बीत गए तो गांव के कुछ मजदूरों ने मंसाछापर की पूर्वांचल ग्रामीण बैंक की शाखा से संपर्क साधा। खाताधारक मंकेश्वर (खाता संख्या–2052055), जब्बार (खाता संख्या–2052057, शंकर (खाता संख्या–2052030), हजरत (खाता संख्या–2052016), इंद्रासन (खाता संख्या–2052061) आदि ने बैंक से प्राप्त पासबुक दिखाते हुए बताया कि सभी पासबुकों में खाता खोलने की तारीख 5 फरवरी, 2009 दिखाई गई है। मजदूरों की पासबुक की डुप्लीकेट चार मार्च को जारी की गई है। इन सभी मजदूरों के खाते में आए मजदूरी मद के 5600 रुपये फरवरी महीने की दो तिथियों में निकाला जाना पासबुक में दिख रहा है।

योजना में कुछ बदलाव – केंद्र सरकार नरेगा के प्रावधानों में कई आमूल–चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नरेगा में अब सौ दिन की जगह 200 दिन के काम की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। अब नरेगा के कामकाज की निगरानी के लिए केंद्र सरकार राज्य स्तर पर समिति गठित करने वाली है क्योंकि केंद्र को मिली रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 71 जिलों में से किसी में भी नरेगा के कामकाज की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है।

(लेखक हिन्दी मासिक पत्रिका के उप संपादक हैं)
ई–मेल : dr.kaushik@rocketmail.com

आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

दक्षिण एशिया में आर्थिक मंदी का बहुत खराब दौर दिखायी दे रहा है तथा आगामी कुछ वर्ष और भयावह हो सकते हैं किन्तु भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा के रूप में संचालित की जा रही रोजगार गारंटी योजना 'नरेगा' ने देश को इस संकट से बचा लिया है। दरअसल इस योजना के द्वारा देश के करोड़ों व्यक्तियों के हाथों तक विगत तीन वर्षों में एक निश्चित न्यूनतम राशि पहुंची है जिसने इन परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है और इससे उत्पादन इकाइयों को व्यापक आघात नहीं झेलना पड़ा है। चूंकि नरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्डधारकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रति परिवार सुनिश्चित किया गया है अतः आजीविका की बड़ी चिन्ता से मुक्ति भी मिली है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अर्थात् नरेगा के क्रियान्वयन के लिए बनी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा जिसे 2 अक्टूबर, 2009 से "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" नाम दिया गया है, एक ऐसा क्रांतिकारी एवं सामयिक सरकारी कार्यक्रम है जिसने न केवल ग्रामीण निर्धनों एवं मजदूरी पर अश्रित व्यक्तियों को सम्बल प्रदान किया है बल्कि वैश्विक मंदी के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई.एल.ओ. द्वारा मई, 2009 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार– दक्षिण एशिया में आर्थिक मंदी का बहुत खराब दौर दिखायी दे रहा है तथा आगामी कुछ वर्ष और

भयावह हो सकते हैं किन्तु भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा के रूप में संचालित की जा रही रोजगार गारंटी योजना 'नरेगा' ने देश को इस संकट से बचा लिया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का क्या योगदान रहा है। दरअसल इस योजना के द्वारा देश के करोड़ों व्यक्तियों के हाथों तक विगत तीन वर्षों में एक निश्चित न्यूनतम राशि पहुंची है जिसने इन परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है और इससे उत्पादन इकाइयों को व्यापक आघात नहीं झेलना पड़ा है। चूंकि नरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्डधारकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रति परिवार सुनिश्चित किया गया है अतः आजीविका की बड़ी चिन्ता से मुक्ति भी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति वी.वी.गिरी का मानना था कि–"बेरोजगारी सब समस्याओं की जड़ है। इसी के कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है।" यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नरेगा के प्राथमिक कार्य क्षेत्र में वे पिछड़े जिले रहे हैं जहां सामाजिक–आर्थिक विकास के सूचकांक निम्न स्तरीय हैं तथा ऐसे जिले नक्सलवाद या माओवादी हिंसा के शिकार भी हैं। भारत सरकार ने "लालगढ़ प्रकरण" के पश्चात् नरेगा को नक्सलवाद से जूझने का एक प्रभावी माध्यम स्वीकार किया है। केन्द्र में सत्तारूढ़ संप्रग सरकार के प्रथम कार्यकाल 2004–09 के मध्य में शुरू हुई नरेगा सरकार की "फ्लेगशिप योजना" भी है।

वैश्विक आर्थिक मंदी

सामान्यतः आर्थिक मंदी अर्थात् "रिसेशन" से तात्पर्य उस स्थिति से है जब वस्तुओं की आपूर्ति की तुलना में उनकी मांग कम हो जाती है। तथा लोगों के पास धन का अभाव भी रहता है। स्पष्ट है ऐसी मंदी के समय प्रायः सरकारी पैकेज, सहायता अनुदान एवं नीतिगत प्रयासों द्वारा आर्थिक तंत्र को सहारा दिया जाता है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी सन् 2007 की अन्तिम तिमाही में अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं के "सब प्राइम" संकट से शुरू हुई तथा सन् 2008 में विश्व का दो–तिहाई हिस्सा इसकी चपेट में आ चुका था। "सब प्राइम" वह व्यवस्था है जिसमें बैंक किसी उपभोक्ता को पुराना ऋण चुकाने हेतु नया ऋण प्रदान कर देते हैं। इससे उपभोक्ता की वास्तविक स्थिति में सुधार नहीं आता है।

उपभोक्तावाद की उच्च सीमा तक पीड़ित अमेरिकी अर्थव्यवस्था एवं सभ्यता को जुकाम होने का तात्पर्य है–शेष विश्व को न्यूमोनिया हो जाना। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण विश्व भर के शेयर बाजार एवं पूंजी व्यवस्थाएं एक–दूसरे से गहराई से अन्तर संबंधित हो गई हैं अतः चारों ओर तत्काल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। तीसा की मंदी के पश्चात् वर्तमान दौर को सबसे गंभीर बताया जा रहा है। अमेरिका में दो वर्ष में 8.5 लाख व्यक्तियों को नौकरियों से निकाला जा चुका है तथा बेरोजगारी की दर 10 प्रतिशत को छू रही है। वहां विकास दर लगभग 2 प्रतिशत है। यद्यपि आर्थिक मंदी के इस दौर में चीन एवं भारत भी प्रभावित हुए हैं किन्तु अभी भी इन देशों में विकास दर 6–8 प्रतिशत बनी हुई है। इस संकट से उबरने के लिए जी–20 सम्मेलन में निर्णय किया गया कि कम से कम सन् 2010 के अंत तक 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता विश्व अर्थव्यवस्था को दी जानी आवश्यक है और साथ ही वित्तीय संस्थाओं में पारदर्शिता लायी जानी भी अत्यावश्यक है। भारत सरकार द्वारा नरेगा के अन्तर्गत व्यय किया जा रहा धन भी देश को मंदी से बचाने तथा रोजगार सुनिश्चित रखने का एक सार्थक प्रयास है।

मंदी से उबारने में नरेगा की भूमिका

2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से शुरू की गई नरेगा के प्राथमिक चरण में 200 पिछड़े जिले रखे गए थे। इससे पूर्व सन् 2005 में "राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के द्वारा नरेगा का पायलट परीक्षण सफलतापूर्वक हो चुका था। प्रथम वर्ष में नरेगा में कुल 8823.35 करोड़ रुपये व्यय हुए जबकि प्रावधान 6000 करोड़ रुपये का था तथा 2.1 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया जा सका। अगले वर्ष 2 मई, 2007 से यह योजना 330 जिलों तक विस्तारित हो गई तथा वर्ष 2007–08 में 15856.89 करोड़ रुपये व्यय हुए और 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया जा सका। यद्यपि नरेगा कानून 2005 में यह प्रावधान था कि इसे पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से सभी ग्रामीण जिलों तक विस्तारित किया जाएगा किन्तु योजना की सफलता एवं उपयोगिता को देखते हुए इसे 01 अप्रैल, 2008 से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलों तक विस्तारित कर दिया गया तथा इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपये नरेगा पर व्यय हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु नरेगा में 30,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। नरेगा के अन्तर्गत वर्तमान में 10 करोड़ व्यक्ति जॉब कार्डधारक हैं तथा पौने चार वर्षों में अभी तक कुल 70,000 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

सामान्यतः एक तिहाई व्यय सामग्री मद पर तथा दो तिहाई व्यय मजदूरी मद पर हुआ है। एक परिवार में सामान्यतः 2–3 व्यक्तियों के पास जॉबकार्ड हैं तथा वर्तमान में 3.5 करोड़ परिवार नरेगा से लाभ उठा रहे हैं। यदि नरेगा के सामग्री मद तथा प्रशासनिक मद में हुए व्यय को पृथक कर दिया जाए तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि 40 हजार करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में 10 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचे हैं। इस प्रकार प्रति जॉब कार्डधारक तक 4 हजार तथा प्रति परिवार तक लगभग 10 हजार रुपये नरेगा ने पहुंचाए हैं। जिला तथा खण्ड स्तर पर देश भर में 63 हजार कार्मिकों को भी नरेगा में रोजगार मिला है।

विश्लेषण करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नरेगा से पूर्व भी ग्रामीण मजदूर किसी न किसी रूप से अपनी

आजीविका अवश्य चला रहे थे। विशेष रूप से ऐसे श्रमिक जो काम हेतु शहरों में रिक्शा–तांगा चलाते हैं तथा उनके बीवी–बच्चे गांवों में रहते हैं, उनकी महिलाओं के लिए नरेगा एक वरदान बन गया। नरेगा में कार्यरत कुल मजदूरों में आधी से भी अधिक महिलाएं हैं।

राजस्थान में तो महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत रही है। नरेगा के माध्यम से महिलाओं के हाथों में पहुंचे धन तथा अनाज से "मानव विकास सूचकांक" में आशाजनक वृद्धि हुई है। सर्वेक्षणों से सामने आया है कि नरेगा में मजदूरी प्राप्त कर रही महिलाओं ने अपनी आजीविका को पशु खरीदने, उनका उपचार कराने, बच्चों की पढ़ाई, रोगोपचार, पेयजल, पौष्टिक भोजन, बर्तनों तथा वर्षों से बची रही किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में लगाया है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोसरी आइटम वाली दुकानों का तेजी से प्रसार हुआ है। मोबाइल, टेलीविजन, कूलर, बल्ब, टयूबलाईट से. लेकर घर की मरम्मत हेतु सीमेंट तक सभी क्षेत्रों को नरेगा की आजीविका ने प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ पहुंचाया है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि पुरुष अपनी मजदूरी "शराब सेवन" करने पर व्यय करता है वहीं महिलाएं परिवार, बच्चों एवं पशु के भले हेतु व्यय करती हैं।

अब चूंकि नरेगा में मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से करने का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में एक तरफ शोषण एवं भ्रष्टाचार में कमी आयी है तो दूसरी ओर मजदूरों में बचत करने तथा उस पर बैंक द्वारा ब्याज पाने की समझ भी बढ़ने लगी है। सितम्बर, 2009 तक नरेगा के अन्तर्गत 3.68 करोड़ एकल तथा 60 लाख संयुक्त खाते बैंकों में तथा 3.44 करोड़ एकल और 25 लाख संयुक्त खाते डाकघरों में खुलवाए जा चुके हैं। साथ ही बचे हुए सभी जॉब कार्डधारक खाता खुलवाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। यहां यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है कि जो निर्धन, साधनविहीन तथा निरक्षर मजदूर कभी बैंक के सामने खड़ा होकर उसकी ओर उत्सुकता से टकटकी लगा कर देखा करता था, वह आज उसमें आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करता है तथा बचत के महत्व को आत्मसात् भी कर रहा है। क्या यह कोई छोटी बात है?

ग्रामीण मजदूरों की सभी क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ने का श्रेय भी नरेगा को ही जाता है। वह इसलिए कि नरेगा में न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक प्रावधान होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों, ईंट–भट्टों तथा अन्य स्थलों पर लगे श्रमिकों ने नरेगा की ओर रूख कर लिया। परिणाम यह हुआ कि ठेकेदारों, जमींदारों तथा फैक्ट्री मालिकों को अपने मजदूरों का वेतन बढ़ाना पड़ा। विगत तीन वर्षों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में तो फसल कटाई के समय मजदूरों का टोटा पड़ने पर उन्हें जमींदारों द्वारा दुगुनी मजदूरी के लालच पर काम पर बुलाया गया और परम्परागत झिड़कियों एवं शोषण के बजाय मानवीय एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करना पड़ा है।

क्या यह एक शुभ लक्षण नहीं है?

भारत में नरेगा के कारण अन्य असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों की मजदूरी बढ़ने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। साथ ही छठे वेतन आयोग से केन्द्रीय एवं राज्य कार्मिकों के वेतन बढ़ने से बाजार में पूंजी का प्रवाह बना रहा। इन्हीं परिस्थितियों में निजी क्षेत्र द्वारा भी वेतन–भत्तों में वृद्धि की गई। मंदी के कारण भारत में बहुत कम छंटनी हुई है।

हैविट इंटरनेशनल संस्था के एक सर्वेक्षण के अनुसार सन् 2009 में विश्व में सर्वाधिक वेतन वृद्धि 6.3 प्रतिशत भारत में रही है तथा अगले वर्ष भी भारत सर्वोच्च स्थान पर रहेगा और यह वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें भी बढ़ायी गई हैं तथा आगे भी यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। तमिलनाडू में त्रिचिरापल्ली जिले के किसानों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि नरेगा को स्थगित किया जाए क्योंकि उन्हें कृषि कार्य हेतु मजदूर नहीं मिले रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब में शहरी क्षेत्रों में श्रमिक कम मिल रहे हैं क्योंकि नरेगा ने ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन पर रोक लगायी है।

समाजवाद की ओर

समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी समाज से हमारा तात्पर्य उस केन्द्रीकृत एवं सरकारी नियंत्रण वाली आर्थिक प्रणाली से होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व पाया जाता है अर्थात् सरकार द्वारा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों पर नियंत्रण किया जाता है। पूंजीवाद के सर्वथा विपरीत यह विचारधारा अपने अन्तिम बिन्दू पर साम्यवाद या मार्क्सवाद को छूती है किन्तु वास्तविकता यह है कि मानव समाज में पूर्ण साम्यवाद की स्थापना नितांत असंभव है। वैसे भी विगत दो दशकों में सम्पूर्ण विश्व में साम्यवाद के गढ़ ढह चुके हैं तथा समाजवादी चीन में भी आर्थिक विकास को तीव्र गति निजीकरण एवं बाजारीकरण के प्रयासों के पश्चात् ही मिली है। कितनी विचित्र स्थिति है कि आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जहां चारों ओर अर्थव्यवस्था पर सरकारी हस्तक्षेप घट रहा है तथा पूंजीवाद का प्रसार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पूंजीवाद के महागढ़ अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका में गत वर्ष संघीय सरकार को समाजवाद का मार्ग चुनना पड़ा। हुआ यह कि अमेरिका की तीन बड़ी कम्पनियां यथा–फैन्नी में फ्रेडी मैक तथा ए आईजी दिवालिएपन की स्थिति में पहुंच गई तथा उनमें प्रत्येक की वित्तीय देयता 5 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर थी। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद से पांच गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में मंदी के दौर में देश में वित्तीय भूचाल आना

स्वाभाविक था अतः अमेरिकी सरकार ने इन कम्पनियों का अधिग्रहण कर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो गया कि कोई भी देश पूर्ण पूंजीवाद के भरोसे संचालित नहीं हो सकता है। समस्त प्रकार के संकटों के समय अन्तिम शरण भी सरकार की गोद में ही मिलती है। इसी प्रकार सन् 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति के पश्चात् भारत में नरेगा जैसा प्रयास समाजवाद का ही पर्याय है।

भारत को कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की दिशा में ले जाने वाले प्रावधान संविधान के चौथे भाग में "नीति–निर्देशक तत्वों के रूप में वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद–38 (1), 38 (2) 39 (क), 39 (ख), 39 (ग), 39 (घ) 41 तथा 43 सामाजिक–आर्थिक समानता एवं न्याय के प्रावधान करते हैं।"

अनुच्छेद 39 क यह प्रावधान करता है कि राज्य, अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी नागरिकों को तथा पुरुषों एवं स्त्रियों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हैं।"

अनुच्छेद 41 यह प्रावधान करता है कि "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा निःशक्तता तथा अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।" आजीविका की सुरक्षा को सरकारी दायित्व बनाने वाले इसी अनुच्छेद की पूर्ति नरेगा के माध्यम से हुई है। लोक प्रशासन के महत्व एवं उपादेयता को वर्णित करते समय प्रायः यह कहा जाता है कि सरकार सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होती है। नरेगा के माध्यम से भारत में पुनः सामाजिक सरोकारों के प्रति सरकार की वह बढ़ती भूमिका रेखांकित हुई है जोकि विगत दो दशक से लुप्त मान ली गई थी।

श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में मार्च, 2006 में 28.60 लाख व्यक्ति केंद्र सरकार में, 73 लाख राज्य सरकारों में, 54.09 लाख अर्द्ध–सरकारी निकायों में तथा 21.18 लाख व्यक्ति स्थानीय निकायों में नियोजित थे। गैर–कृषि क्षेत्र के निजी प्रतिष्ठानों में 88.05 लाख व्यक्ति नियोजित थे। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ 70 लाख व्यक्ति सरकारी एवं निजी संगठित क्षेत्र में आजीविका प्राप्त कर रहे थे। देश की जनसंख्या में 40.22 करोड़ व्यक्ति मजदूर वर्ग से सम्बन्धित हैं जो प्रमुखतः असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस वर्ग को नरेगा ही सहारा दे रही है।

मूल्यांकन

सम्पूर्ण विश्व के सभी देशों में तथा सभी युगों में कतिपय "पैदायशी आलोचक" अवश्य विद्यमान रहे हैं जो अपने एक विशिष्ट चश्मे से कुछ खास चीजें ही देखते हैं। यदि ऐसे आलोचकों के दृष्टिकोण को पृथक कर नरेगा का समग्र एवं गंभीर प्रभावकारिता–उन्मुख विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि इस योजना ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे साधनविहीन श्रमिक परिवारों की दशा एवं दिशा दोनों को बदल दिया है। नरेगा से पूर्व भारत में महाराष्ट्र वह पहला राज्य था जिसने वर्ष 1972–73 में रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। यद्यपि महाराष्ट्र की इस अनूठी योजना की कई बार कमियां गिनाई गई किंतु वास्तविकता यह कि इस योजना के चलते आज भारत में हमें महाराष्ट्र से बाहर किसी राज्य में महाराष्ट्र का मजदूर सामान्यतः मजदूरी करता नहीं मिलता है। ऐसे ही सुफल नरेगा भी प्रदान करेगी क्योंकि नरेगा ने कतिपय निर्णायक एवं बुनियादी परिवर्तन लाने शुरू कर दिए हैं, जैसे–नरेगा के कारण रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन कम हुआ है; महिला श्रमिकों को घर के समीप अतिरिक्त रोजगार अवसर मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति को एक सुनिश्चित सम्बल मिला है; कृषि तथा गैर–कृषि कार्यों में लगे ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी एवं सम्मान में वांछित बढ़ोतरी हुई है; ग्रामीण मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से गांवों तक उपभोक्ता बाजार विस्तारित हुआ है अतः मंदी से उबरने में सहायता मिली है।

विगत तीन वर्षों से वैश्विक स्तर पर नरेगा की तुलना अमेरिका के "न्यू डील" कार्यक्रम से की जा रही है जोकि तीसा की मंदी के समय 1933–36 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट द्वारा जनहित में शुरू किया गया था, लेकिन नरेगा का कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य बहुत व्यापक है। नरेगा कानून में सामाजिक अंकेक्षण, एन.जी.ओ. की भूमिका, ऑनलाईन परिवेदना निवारण, इंटरनेट पर मस्टररोल की उपलब्धता से लेकर नरेगा लोकपाल (ओम्बुडसमैन) तक के प्रावधान किए गए हैं ताकि योजना में भ्रष्टाचार नहीं पनपे। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी यदि योजना में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं हैं तो वे भारतीय मानसिकता तथा राष्ट्रप्रेम के अभाववश हैं। चाहे हमारा संविधान हो या नरेगा कानून, नीति निर्माण क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। किन्तु क्रियान्वयन में कमियां व्यवहारजन्य हैं। बाजार में चाकू सब्जी काटने के लिए मिलता है यदि इससे कोई इन्सानों को काटने लग जाए तो यह चाकू का दोष है या उपयोगकर्ता का?

विगत साढ़े तीन वर्षों में भारत सरकार ने देश के प्रत्येक कोने से प्राप्त सुझावों को नरेगा में सम्मिलित कर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इस लचीलेपन को कमजोरी नहीं कहा जा सकता है। "प्रायोजित आलोचना" के अन्तर्गत जो यह कह रहे हैं कि नरेगा से स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हो रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि नरेगा मूलतः मजदूरी प्रधान योजना है, सामग्री प्रधान नहीं। लोगों को आजीविका देना इसका प्राथमिक लक्ष्य है अतः सामग्री मद में धन कम व्यय किया जाना स्वाभाविक है। नरेगा के कारण ग्रामीण मजदूरों के चेहरों पर आयी रौनक को बिना उनसे मिले नहीं जाना जा सकता है।

(लेखक लोक प्रशासन के व्याख्याता एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हैं)
ई–मेल : skkataria@rediffmail.com

नरेगा
ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान

डॉ. अतुल कुमार तिवारी

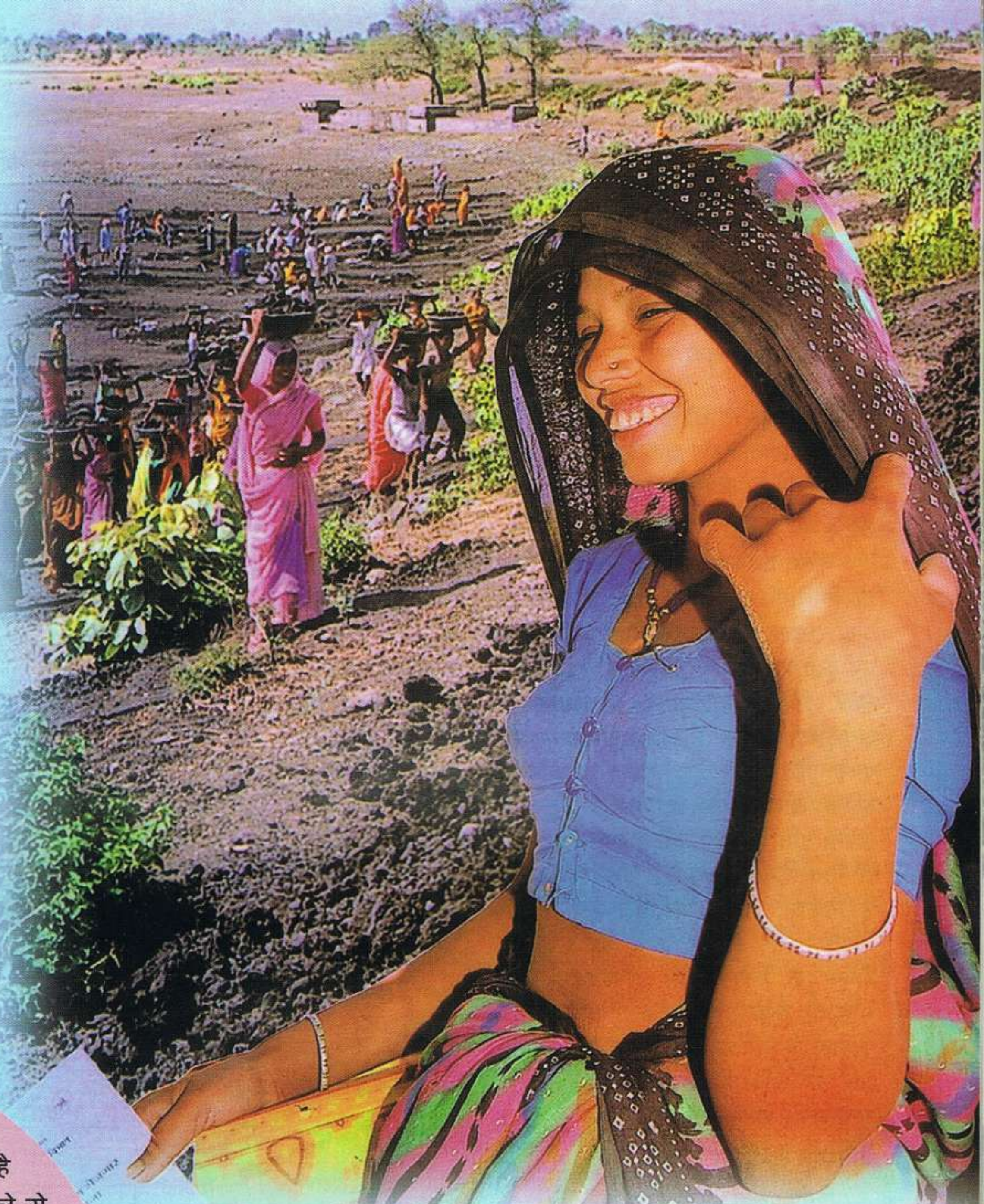

'नरेगा' सरकार की महत्वपूर्ण (फ्लैगशिप) योजनाओं में से एक है जिसे आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। फिलहाल देश के सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जा चुका है। इस कानून का उद्देश्य एक वित्तवर्ष के दौरान हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दक्षता वाले हाथ के कार्य शामिल किए गए हैं और स्वैच्छिक रूप से ऐसे कार्य करने के इच्छुक लोगों को ये कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) में और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त और कार्य शामिल करने के लिए ऐसे कार्यों की पहचान की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 63 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसने 2008–09 में 4,479 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। नरेगा ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी योगदान दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है। इस कानून की खास बातों में शामिल हैं–

100

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

ग्रामीण शासन संरचना पर प्रभाव

- पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामसभाएं सक्रिय हो गई हैं।
- नरेगा के मजदूरों के लिए बैंकों और डाकघरों में 5.77 लाख से अधिक बचत खाते खोले गए हैं।
- जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर के दायरे में नरेगा के मजदूरों को भी लाया जा रहा है।
- एक करोड़ 16 लाख मस्टर रॉल और 5 करोड़ 70 लाख जॉब कार्ड वेबसाइट (nrega.nic.in) पर रखे गए हैं।

राष्ट्रीय हैल्पलाइन

सरकार को शिकायत दर्ज कराने और पूछताछ के लिए मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए टोल फ्री (मुफ्त काल की सुविधा वाला) नम्बर 1800110707 स्थापित किया गया है। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों के लिए हैल्पलाइन शुरू की है।

सामाजिक ऑडिट

एक लाख 80 हजार ग्राम पंचायतों में सामाजिक ऑडिट कराया गया है। राज्यों को नरेगा के प्रत्येक कार्य का तीन महीने के भीतर सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है।

परिवारों को गारंटी के साथ रोजगार सुनिश्चित करने के क्रम में, इस कानून के तहत अपने कानूनी अधिकारों के बारे में ग्रामीण परिवारों में अधिक जागरुकता पैदा करने के लिए गहन आईईसी गतिविधियां चलाई गई हैं। राज्यों पर जोर दिया गया है कि वे कार्यान्वयन एजेंसियों में समर्पित कर्मियों को तैनात करें। ऐसे समर्पित कर्मियों का वेतन इस कानून के तहत स्वीकार्य प्रशासनिक खर्चों से पूरा किया जाता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध हो। नरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी इस कानून की प्रगति के अवलोकन के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। आईआईएम, आईआईटी, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य सामाजिक विज्ञान संस्थाएं राज्यों में नरेगा के कार्यान्वयन के आकलन में संलग्न हैं। बैंकों और डाकघरों के जरिए अदक्ष मजदूरों के वेतन के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषता है। www.nrega.nic.in वेबसाइट पर सभी आंकड़े अपलोड किए गए हैं तथा सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन के लिए नरेगा के तहत शिकायत निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय टोल फ्री टेलीफोन हैल्पलाइन स्थापित की गई है। राज्यों से भी ऐसी ही हैल्पलाइन शुरू करने का आग्रह किया गया है। यह कानून लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियां लाने में मददगार रहा है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें और सुधार से यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(लेखक पत्र सूचना कार्यालय में निदेशक (एम एवं सी) हैं)

(पसूका के सौजन्य से)

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

नरेगा ने खोले गांवों में रोज़गार के नए द्वार

सुभाष सेतिया

नरेगा का मूल उद्देश्य गांवों में रोजगार की व्यवस्था करना है। लेकिन इसका प्रभाव केवल रोज़गार के अवसर सृजित करने तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम असल में ग्रामीण जीवन में क्रांति का अग्रदूत सिद्ध हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नरेगा हरित क्रांति तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों के समान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध होने जा रहा है। बेरोज़गारी और गरीबी दूर करने के साथ–साथ यह गांवों में बुनियादी सोच में भी बदलाव ला रहा है। इससे ग्रामीणों में नए तरह का विश्वास व आत्मबल पैदा हो रहा है। यह बात इस तथ्य के रूप में प्रमुखता से उजागर हुई है कि जिन राज्यों में इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू किया गया है, वहां गांवों से शहरों को पलायन की प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लग गई है और इससे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता ढांचा विकसित हुआ है।

आजादी के बाद से ग्रामीण बेरोज़गारी भारत की एक प्रमुख समस्या रही है। पिछले लगभग 6 दशकों में गांवों में रोज़गार के नए अवसर जुटाकर गरीबी दूर करने के इरादे से केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से समय–समय पर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अच्छे परिणाम भी मिले। किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोज़गारी की समस्या की विकरालता कम नहीं हुई। कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग से सीधे खेतीबाड़ी से जुड़े रोज़गार में कमी आने से भी बेरोज़गारी में बढ़ोतरी हुई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव गांवों से शहरों की ओर पलायन के रूप में सामने आया। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि गांवों को खुशहाल बनाए बिना भारत की समृद्धि का सपना अधूरा रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में पिछली यूपीए सरकार ने गांवों में रोज़गार की गारंटी देने का अनूठा कानून बनाया जिसने ग्रामीण भारत में एक तरह से क्रांति का संचार कर दिया। इस वर्ष मई में हुए आम चुनावों के परिणामों में भी इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और सफलता की झलक दिखाई दी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 'नरेगा' की सफलता से उत्साहित होकर मौजूदा केन्द्र सरकार ने इसे और अधिक मुस्तैदी से लागू करने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के अनुरूप 2009–10 के केन्द्रीय बजट में इस कार्यक्रम के लिए 39,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की

तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में 4.47 करोड़ से अधिक परिवारों को रोज़गार मिला जबकि 2007–08 में इन परिवारों की संख्या 3.39 करोड़ थी। यही नहीं इस कानून के अन्तर्गत हाथ में लिए जाने वाले कामों में कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू संसाधन और ग्रामीण सड़कों से जुड़े कार्य भी शामिल किए गए हैं। लेकिन ये गतिविधियां अभी चुने हुए 115 जिलों में ही प्रायोगिक आधार पर शामिल की जाएंगी। देश में सूखा पड़ने से सूखा राहत कार्यों को भी इसमें जोड़ने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून 'नरेगा' 2 सितंबर 2005 को अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया। शुरू में यह कार्यक्रम देश के 200 ज़िलों में लागू किया गया। 2007–08 में इसका क्रियान्वयन 330 ज़िलों तक बढ़ाया गया और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 ज़िलों में इसे लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के उन परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिलाना है जिनके वयस्क सदस्य बेरोज़गार हैं और मेहनत–मज़दूरी करने को तैयार हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य गांवों में गरीबी दूर करके लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना और उनका जीवन–स्तर बेहतर बनाना है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण और आम आदमी के उत्थान के उद्देश्य से चलाई गई उन प्रमुख योजनाओं का हिस्सा है जिन्हें लागू करने का वादा यू.पी.ए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किया था।

सरकार इससे पूर्व भी रोज़गार सृजित करने की विविध योजनाएं चलाती रही है लेकिन पहले कभी भी रोज़गार की कानूनी गारंटी नहीं दी गई थी। इस कार्यक्रम में वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार मिल जाने से ग्रामीण परिवारों में आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठ गया है। इससे ग्रामीण समुदाय में आर्थिक व सामाजिक विषमता कम करने में भी मदद मिल रही है।

'नरेगा' की सफलता का एक और आयाम यह है कि यह ग्रामीण विकास का इंजन बनकर सामने आ रहा है। इसकी बदौलत गांवों में विकास कार्यों तथा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही है। यह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं जिनमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। यही नहीं, कानून में यह भी शर्त है कि काम के स्थानों पर श्रमिकों के लिए पीने के पानी, बच्चों के लिए बाल केन्द्र, आराम करने के लिए शेड आदि की व्यवस्था की जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि रोज़गार पाने वालों में कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो। इससे ग्रामीण जनता में बचत की आदत को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। डाकघरों और बैंकों में लाखों की संख्या में खाते खुल गए हैं। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार 2006 से 2008 तक दो वर्षों में कार्यक्रम के 1.6 करोड़ लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते खोले गए। डाक विभाग तथा रिज़र्व बैंक इन लोगों के लिए खाता जारी रखने की शर्तों को उदार बनाने पर विचार कर रहे हैं।

'नरेगा' के अंतर्गत रोज़गार देने की प्रक्रिया को यथासंभव सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों को नियम–कायदों के जंजाल से बचाया जा सके और उनका शोषण भी न होने पाए। जो भी ग्रामीण वयस्क मेहनत–मजदूरी करना चाहते हैं उन्हें ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराना होता है। इन उम्मीदवारों की योग्यता आदि की जांच के बाद उन्हें पंचायत कार्यालय से 'जॉब कार्ड' जारी किया जाता है। जॉब कार्ड एक तरह से श्रमिक की रोज़गार पासबुक है, जिसमें उसे मिले रोज़गार का ब्यौरा दर्ज रहता है। इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे रहते हैं। जॉब कार्डधारी लोग पंचायत में आवेदन करके सूचित करते हैं कि उन्हें कब और कितने दिन का रोज़गार चाहिए। इस प्रकार रोज़गार की गारंटी की व्यवस्था लागू हो जाती है। यदि 15 दिन के भीतर रोज़गार नहीं जुटाया जाता है तो आवेदक को बेरोज़गारी भत्ते का नकद भुगतान किया जाता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि रोज़गार गांव से प्रायः 5 किलोमीटर की दूरी में ही उपलब्ध कराया जाए। इससे अधिक दूर काम पर लगाए जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देना होगा। वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जाता है।

रोज़गार देने की प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता के प्रावधानों के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कई तरह की कमियों और खामियों की शिकायतें मिलती रहती हैं। इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है–भ्रष्टाचार। हालांकि श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी

रखने के उपाय किए गए हैं, किंतु नौकरशाहों और कुछ स्थानों पर पंचायतों के कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के समाचार मिलते रहते हैं। कई बार बेनामी श्रमिकों के मस्टर रोल बनाकर उनके नाम से वेतन का भुगतान कराके ये अधिकारी राशि हड़प कर लेते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि श्रमिकों से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कोरे कागज़ पर ले लिए जाते हैं और श्रमिक के काम पर न आने की स्थिति में भी उसके नाम पर भुगतान ले लिया जाता है। इसके अलावा मस्टर रोल में शामिल श्रमिकों के काम के दिन बेईमानी से बढ़ा दिए जाते हैं जिससे उन्हें वास्तविक श्रम से अधिक का भुगतान करके उसका कुछ हिस्सा उनसे नकद वसूल कर लिया जाता है। वैसे तो कहा जा सकता है कि इस तरह का भ्रष्टाचार अन्य सरकारी योजनाओं में भी चल रहा है लेकिन इस पर रोक लगाए बिना यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाएगा और देश के गांवों से गरीबी मिटाने का यह सुनहरा प्रयास विफल हो जाएगा।

रोज़गार गारंटी कार्यक्रम की इस बात के लिए भी आलोचना की जाती है कि इससे ग्रामीण लोग निठल्ले बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साल में 100 दिन के काम की तो गारंटी है ही, इसलिए वे सोचने लगते हैं कि ज्यादा मेहनत करके कमाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चिंताजनक तथ्य यह सामने आ रहा है कि नरेगा का क्रियान्वयन सभी राज्यों में समान गति और लगन के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारणों से कुछ राज्य इसके प्रति अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में इसने ग्रामीण समाज में क्रांति ला दी है तो कुछ राज्यों में इसका कार्यान्वयन बहुत ढीला है।

इस क्रांतिकारी कार्यक्रम को समूचे देश में तत्परता से लागू करने और इसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में सरकार विशेष रूप से चिंतित है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार के अधिकाधिक इस्तेमाल से इसे लागू करने वाले कर्मियों और पंचायतों के अधिकारियों पर अंकुश लग सकता है। 9 सितम्बर 2009 को नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती

राज मंत्रियों के सम्मेलन में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से विचार हुआ। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने नरेगा में भ्रष्टाचार के मामलों से सख्ती से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर लोकपाल सरीखी संस्था बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय स्तर पर एक निगरानी इकाई पहले ही गठित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नरेगा से संबंधित अधिक से अधिक आंकड़ों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इससे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को इस पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। डॉ. मनमोहन सिंह ने 'नरेगा' के क्रियान्वयन में असमानता पर असंतोष प्रकट करते हुए उन राज्यों से अपने कामकाज में सुधार लाने को कहा जो इस दिशा में पीछे चल रहे हैं।

वैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कानून में ही सोशल आडिटिंग यानी सामाजिक निरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था नरेगा के रिकार्ड की जांच कर सकता है। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सोशल ऑडिट करने वाली संस्थाओं को अपनी बैठकों में बुलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार तथा महिलाओं को काम पर न रखने के मुद्दों का पर्दाफाश किया है। सामाजिक निरीक्षण दलों में राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अथवा समाज के ज़िम्मेदार लोग शामिल रहते हैं। किंतु सामाजिक निरीक्षण की यह प्रक्रिया सभी राज्यों में पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रही है। कुछ राज्यों में स्वयंसेवी संस्थानों ने नरेगा के क्रियान्वयन पर सामूहिक रूप से नज़र रखने का तरीका अपनाया है। मिसाल के तौर पर झारखंड में अनेक जनसंगठनों व गैर–सरकारी संस्थाओं ने मिलकर 'झारखंड नरेगा वाच' नाम का संगठन बनाया है जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और लोगों को इसका लाभ उठाने की सीख देता है। कानून को लागू करने में पारदर्शिता बनाए रखने में मीडिया भी उपयोगी भूमिका निभा सकता है।

ग्रामीण विकास की स्थायी संसदीय समिति ने नरेगा के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अपेक्षा से कम रही है। समिति ने कुछ राज्यों का उदाहरण देते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाले राज्यों में लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 20 प्रतिशत है जबकि अरूणाचल प्रदेश में लाभ उठाने वाले लगभग 30,000 परिवारों में से एक भी महिला नहीं थी। 2007–2008 में देश में लगभग 3.29 करोड़ परिवारों को रोज़गार दिया गया जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 57 लाख ही थी जबकि क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार यह संख्या एक करोड़ से अधिक होनी चाहिए क्योकि कानून के तहत 33 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार देना अनिवार्य है।

कार्यक्रम को ज्यादा व्यापक तथा प्रभावी बनाने की दृष्टि से यह सुझाव आया है कि रोज़गार की गारंटी 100 दिन तक सीमित न रखकर इसे बढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए। एक सुझाव यह भी आया है कि दिहाड़ी की दर भी बढ़ाई जानी चाहिए। ये सुझाव देखने में उपयोगी लगते हैं किंतु इन्हें लागू करने का समय शायद अभी नहीं आया है। अभी तो 100 दिन तक के न्यूनतम रोज़गार का लक्ष्य प्राप्त करने में भी कई वर्ष लगेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने तथा इसमें जवाबदेही व पारदर्शिता लाने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

सच तो यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम एक सच्चा राष्ट्रीय अभियान है जो अपने उद्देश्य, स्वरूप और प्रभाव की दृष्टि से अभूतपूर्व है। इसकी सफलता केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों, स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया और देश के उत्थान के प्रति संवेदनशील हर नागरिक के लिए चुनौती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में समग्र सामाजिक परिवर्तन के ऐसे अवसर बार–बार नहीं आते। इसलिए जो राज्य किन्हीं कारणों से इसे क्रियान्वित करने में अभी तक पिछड़े हुए हैं, उन्हें इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इसे सुचारू रूप से लागू करने के विशेष प्रयास करने चाहिए। 'नरेगा' के क्रियान्वयन के प्रति विभिन्न स्तरों पर रुचि जगाने के उद्देश्य से 'रोजगार जागरण पुरस्कार' नाम से एक पुरस्कार शुरू किया गया है। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार उन स्वयंसेवी संस्थानों को मिलेगा, जो 'नरेगा' के बारे में चेतना फैलाने और इसके क्रियान्वयन में सहयोग की दिशा में श्रेष्ठ योगदान करेंगे।

आशा की जानी चाहिए कि अब तक के अनुभव और सीख के बल पर 'नरेगा' को आने वाले वर्षों में अधिक कारगर ढंग से लागू किया जाएगा ताकि इसके क्रियान्वयन में मौजूदा विषमताएं, त्रुटियां और कमियां दूर हो जाएं और यह ग्रामीण भारत का कायापलट करने के अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो सके।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं)
ई–मेल : setia subhas@yahoo.co.in

विकास की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी

घनश्याम वर्मा

राजस्थान के बूंदी जिले में नरेगा स्कीम के तहत संचालित विकास कार्यों की एक लम्बी श्रृंखला है। जिले में हो रहे नरेगा कार्यों को यदि बानगी स्वरूप देखें तो हर वह शख्स इनकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, जो एकबारगी इन कार्यों का अवलोकन कर लेगा और ग्रामवासियों से सम्पर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जान लेगा। बूंदी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति की पंचायत रिहाणा एवं अजेता में हुए कतिपय नरेगा कार्यों की सफलता की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी के अनुसार यहां दृष्टव्य है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ग्रामों के समग्र विकास एवं ग्रामवासियों के उत्थान की दृष्टि से वरदान सिद्ध हुई है। आजादी के बाद लम्बे समय तक जिन गांवों में विकास की किरण नहीं पहुंची थी, वहां अब एक के बाद एक लगातार कोई न कोई विकास कार्य अवश्य ही संचालित हो रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामसभा की सहमति से तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य–योजना में ग्रामवासियों की अपेक्षानुरूप सम्बन्धित गांवों के लिए आवश्यक विकास कार्यों को शामिल कर उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक ओर जहां गांवों का कायाकल्प हो रहा है वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद ग्रामवासियों को अपने ही गांव के आसपास रोजगार भी मिल रहा है। अर्थात गांवों के विकास में वहीं के ग्रामवासियों की सहभागिता और साथ में उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी। भला इससे उम्दा सरकारी योजना और क्या होगी।

राजस्थान के बूंदी जिले में नरेगा स्कीम के तहत संचालित विकास कार्यों की एक लम्बी श्रृंखला है। जिले में हो रहे नरेगा कार्यों को यदि बानगी स्वरूप देखें तो हर वह शख्स इनकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, जो एकबारगी इन कार्यों का अवलोकन

कर लेगा और ग्रामवासियों से सम्पर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जान लेगा। बूंदी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति की पंचायत रिहाणा एवं अजेता में हुए कतिपय नरेगा कार्यों की सफलता की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी के अनुसार यहां दृष्टव्य है। सार्वजनिक विकास एवं जन उत्थान की रिहाणा पंचायत में 1300 की आबादी का एक छोटा–सा गांव है छावनी बोरदा और इसी से लगी हुई दूसरी पंचायत है अजेता। इन दोनों पंचायतों के ग्रामवासी नरेगा कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। ग्राम छावनी बोरदा में वर्ष 2008–09 में तीन कि.मी. लम्बी ग्रेवल सड़क, 1200 फीट लम्बाई में पक्की खरंजामय नाली एवं स्कूल की सुरक्षा दीवार का निर्माण नरेगा स्कीम में कराया गया, जिनकी ग्रामवासी भूरि–भूरि सराहना करते हैं।

छावनी बोरदा के जसराज ने बताया कि खरंजा बनने से पूर्व गांव के इस मुख्य मार्ग पर भयंकर कीचड़ रहता था। बच्चों तथा महिलाओं को निकलने में तो बहुत परेशानी होती थी, परन्तु नरेगा योजना में पक्का खरंजा एवं उसके साथ पक्की नालियां बन जाने के कारण ग्रामवासियों को बहुत सुविधा हो गई है। इसी गांव के निवासी कालू लाल ने बताया कि पिछले पचास सालों में उनके गांव में ऐसे बढ़िया काम नहीं हुए, जैसे नरेगा स्कीम में अब हुए हैं। निर्माण कार्यों पर मजदूरी भी गांव वालों ने की है, जिससे उन्हें दोहरा लाभ हुआ। नंदकिशोर ने उनके इस छोटे से गांव में इतने बढ़िया निर्माण कार्य कराने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा– 'भला हो सरकार और पंचायत के सरपंच जी का, जिन्होंने यहां काम चालू करवाकर मुझ जैसे भूमिहीन व्यक्ति को मजदूरी पर लगाया, जिससे उसके घर–परिवार के लिए रोजी–रोटी कमाने का आसरा मिल गया।'

छावनी बोरदा के ही ग्रामवासी करण सिंह ने कहा कि खरंजा के अलावा गांव से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली करीब 3 कि.मी. लम्बी ग्रेवल सम्पर्क सड़क का निर्माण भी नरेगा स्कीम में करवाया गया है। यह ग्रेवल सड़क बन जाने से गांव से मुख्य सड़क तक सात कि.मी. के लम्बे रास्ते के बजाए ग्रामवासी अब नरेगा में बने 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क मार्ग से मुख्य सड़क तक पहुंच जाते हैं। इससे श्रम और समय दोनों की बचत हुई है। पहले यह 3 कि.मी. का रास्ता कच्ची गडार के रूप में था। बीमार दुखी व्यक्ति हो या कोई प्रसूता को अस्पताल ले जाने का मामला हो, ग्रामवासी इसी गडार (कच्ची पगडंडी) का इस्तेमाल पैदल चलकर करते थे। चौपहिया वाहनों के इस गडार से नहीं निकल पाने के कारण मरीज को खाट पर डालकर उसे चार लोग उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब वह स्थिति नरेगा स्कीम में हुए इस सड़क निर्माण कार्य के कारण समाप्त हो गई है। उन्हें उम्मीद है कि नरेगा में बनी यह ग्रेवल सड़क शीघ्र ही डामरीकृत भी हो जाएगी।

ग्रामीण महिला कमला बाई ने कहा कि खरंजा और सड़क बन जाने से सबसे ज्यादा सहूलियत महिलाओं को हुई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके गांव में लाईट लग जाएगी, रोड बन जाएगी, खरंजा बन जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, लेकिन अब यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से गांव शहर जैसा सुविधा–सम्पन्न हो गया है। उनके घरों के सामने बना 12 फुट चौड़ा पक्का खरंजा इतना बढ़िया बना है कि कई बार तो वे लोग खरंजे पर ही खाट पलंग लगाकर बैठ जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, बतिया लेते हैं।

ग्रामीण महिला कस्तूरीबाई ने बताया कि पहले उन्होंने बहुत दुख उठाया, लेकिन अब उतना ही अधिक सुख मिल रहा है। गांवों में हुए विकास कार्यों की वजह से खरंजा के साथ नालियां भी बहुत अच्छी बनाई गई। पहले गडार होने के कारण मरीज को मुर्दे की तरह चार आदमी खाट पर उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जीप, ट्रेक्टर आदि वाहन तो अब आसानी से आ–जा सकते हैं। लम्बे सड़क मार्ग से मरीजों को ले जाने में बहुत समय लगता था। कई बार गंभीर मरीज तो रास्ते में ही मर जाते थे। प्रसूता महिलाओं का रास्ते में ही प्रसव हो जाता था या अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाने पर वे भी रास्ते में ही दम तोड़ देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।

पंचायत रिहाणा के सरपंच भवानीशंकर मीणा ने बताया कि नरेगा योजनान्तर्गत तैयार वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्ययोजना में पंचायत रिहाणा में 3 करोड़ 32 लाख के प्रस्ताव तैयार कर विभाग को प्रेषित किए गए थे, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। इस योजना में पंचायत के सभी पांच गांवों–रिहाणा,गोगपुरा, बगली, देलूंदा तथा छावनी बोरदा में खरंजा एवं नाली निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, सुरक्षा दीवार निर्माण तथा प्रत्येक गांव में एक एनीकट और एक तलाई निर्माण के कार्यों को शामिल किया गया है। पंचायत के सभी गांवों तथा गली–मोहल्लों में खरंजा बनाने

की योजना है। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण आदि कार्यों को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। एनीकटों का कार्य सितम्बर माह के बाद आरंभ करवा दिया जाएगा, जिनसे हेंडपंपों एवं नलकूपों का जलस्तर बढ़ेगा। मवेशियों के लिए पीने के पानी की सुविधा होगी। ग्रामवासी भी उस पानी का उपयोग विभिन्न कार्यों में कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में सभी गांवों में नरेगा स्कीम में एक से अधिक कार्य चल रहे हैं, जिन पर स्थानीय ग्रामवासियों को ही रोजगार दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रिहाणा पंचायत में अब तक हुए नरेगा कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की औसत मजदूरी सौ रुपये आई है, जिससे ग्रामवासी बहुत खुश हैं। निर्माण कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करने तथा विकास में ग्रामवासियों की सहभागिता के कारण कार्यों में गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि रिहाणा पंचायत के छावनी बोरदा गांव में निर्मित बारह सौ फुट लम्बी तथा 12 फुट चौड़ी खरंजा मय सीमेन्टेड नालियों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये मंजूर हुए थे। खरंजा निर्माण से पूर्व गांव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब सभी ग्रामवासी इसके लिए उन्हें दुआ देते हैं। गांव से मुख्य सड़क मार्ग तक ग्रेवल सम्पर्क सड़क बन जाने से भी ग्रामवासियों को अब बहुत आराम हो गया है। किसी भी प्रिय–अप्रिय परिस्थिति में वे जिला मुख्यालय अथवा उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर किसी भी वाहन से तुरंत पहुंच जाते हैं।

समीपस्थ पंचायत अजेता में नरेगा स्कीम के तहत बनाए गए मिट्टी के बांध (अर्दन डेम) की भी ग्रामवासी तहेदिल से सराहना करते हुए इस कार्य को वरदान की संज्ञा देते हैं। गांव के समीप निकलने वाले दो बड़े बरसाती नालों के कारण भूमि का लगातार कटाव होते–होते गांव को खतरा पैदा हो गया था। इस भय से गांव तो दूसरी जगह बसा लिया, लेकिन नाले के कारण कटाव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। पंचायत द्वारा नरेगा स्कीम के तहत इन नालों से होने वाले कटाव, मृदाक्षरण एवं पानी के व्यर्थ ही बहकर चले जाने की समस्या के समाधान को ग्रामवासियों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने पंचायत के माध्यम से नरेगा स्कीम के तहत नालों के पानी को रोकने के लिए मिट्टी का बांध बनाने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग से मंजूर करवाया। इस कार्य के लिए विभाग ने 8 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। मिट्टी का बांध बनाने का कार्य तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में पंचायत द्वारा आरंभ कराया गया।

दोनों नालों के संगम स्थल पर 30 फीट ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया गया, जिसकी लम्बाई 40 मीटर और भूतल से चौड़ाई 16 मीटर से लेकर ऊपरी भाग पर 3 मीटर रखी गई। इस बांध के जलभराव वाले भाग पर पत्थरों की पक्की दीवार बनाने का प्रस्ताव भी है। अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए वेस्टवीयर भी बनाया गया है। इस अर्दन बांध का जलभराव क्षेत्र करीब 100 बीघा से भी अधिक का है। 'गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में' की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए जल संरक्षण के लिए बनाई गई इस संरचना के निर्माण से गांववासी बहुत खुश है। ग्रामीण दुर्गा सिंह ने बताया कि पहले इन नालों का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता था। बांध बन जाने से इस पानी का उपयोग अब वे लोग वर्षभर कर सकेंगे।

उपसरपंच गंगाराम ने बताया कि गांव के समीप से निकलने वाला यह बरसाती नाला एक समय ऐसा आता, जब वह गांव को ही ले डूबता, लेकिन अब यहां कच्चा बांध बन जाने से यही खाल और नाला उनके लिए वरदान बन गया है। इसके बन जाने से हेण्डपंपों, कुओं, नलकूपों का जलस्तर बढ़ा है। मवेशियों के लिए पानी की समस्या समाप्त हो गई है। बांध के किनारों पर स्नानघाटों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका उपयोग ग्रामवासी नहाने–धोने में कर सकेंगे। इससे आसपास के वन्य जीव–जन्तुओं तथा वनस्पति के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। निश्चित रूप से बरसाती खाल और नाले पर बनाया गया यह अर्दन डेम अजेता ग्रामवासियों ही नहीं, बल्कि आसपास के आधा दर्जन गांवों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी एक स्वर में यह कहते हुए नहीं अघाते कि नरेगा स्कीम उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस स्कीम में कम समय में इतने अच्छे कार्य हुए हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। निश्चित रूप से नरेगा ने गांव में विकास का इतिहास रच दिया है।

(लेखक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी हैं।)
ई–मेल : cprbun@hotmail.com

ग्रा...
वि...
हमा...
...
प्रवे...

सुश्री अगाथा संगमा
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री

भारतीय संसद में सबसे युवा राज्य मंत्री सुश्री अगाथा संगमा का यह मानना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय "हमारे देश का प्रवेशद्वार" है और वे चाहती हैं कि हमारे देश के युवाओं को 'पर्यावरण' से जुड़ना चाहिए। प्रस्तुत हैं उनसे साक्षात्कार के अंश।

प्रश्न 1 : 15वीं लोकसभा में सबसे युवा राज्यमंत्री बनने पर आपको बधाई। आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस परिवेश ने आपको कितना प्रभावित किया है?

उत्तर : चूंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूं, अतः मुझे काफी कुछ विरासत में मिला है। मैं इसी परिवेश में पली–बढ़ी हूं, इसलिए एक राजनीतिज्ञ किस तरह का जीवन जीता है, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे अपने को इसके अनुरूप ढालने में अधिक कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले से ही इस पूरे सिस्टम का हिस्सा थी। मैंने अपने पिता का जीवन देखा है और उनसे मिलने आने वाले लोगों के साथ उन्हें बातचीत करते देखा है, इसलिए मैं इस माहौल के प्रति हमेशा से ही सहज रही हूं। अपने पिता को कार्य करते हुए देखने से भी मुझे प्रेरणा मिली है और यह भी कि किस तरह उनका कार्य उनसे जुड़े लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। उनसे मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत रूप से जब मैं छात्रा थी, तो मैं राजनीति से जुड़ी हुई नहीं थी, मैं अपनी निजी जिन्दगी और अपने व्यक्तिगत दायरे तक ही सीमित थी। मैं कभी सीधे तौर पर छात्र आंदोलनों या अपने पिता की राजनैतिक पार्टी से जुड़ी नहीं रही क्योंकि मैं ज्यादातर मूक दर्शक ही थी।

प्रश्न 2 : हमने सुना है आप एक वकील और पर्यावरणविद् हैं तथा फोटोग्राफी में भी रुचि रखती हैं। कृपया हमें बताएं कि इनमें से आपको क्या सबसे अधिक पसंद है और क्यों?

उत्तर. इसमें कोई दो–राय नहीं है कि मैं निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना चाहूंगी क्योंकि यह मुझे बेहद पसंद है। वास्तव में, मैं कोई भी पेशा अपनाऊं, चाहे राजनीति हो, वकालत हो या कुछ और, मेरे लिए पर्यावरण का मुद्दा अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। विकास में पर्यावरण मुद्दों को शामिल करने की व्यापक संभावनाएं हैं और इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हम पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखें।

प्रश्न 3 : आप पर्यावरण संबंधी मुद्दों को किस तरह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जोड़ना चाहेंगी?

उत्तर : मैं जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हूं वह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़ने की व्यापक संभावनाएं हैं ताकि स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अर्थव्यवस्था है; ग्रामीण जीवनशैली पर्यावरण दृष्टि से सर्वाधिक स्थायी जीवनशैली है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और साथ ही उन्हें यह समझाने कि शहरीकरण खुशहाल जीवन का समाधान नहीं है, के बीच संतुलन बनाया जाए। आप ग्रामीण जीवन जीने के साथ–साथ एक संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं डीडब्ल्यूएस और स्वच्छता को देखती हूं और इससे कई पर्यावरणीय मुद्दे जुड़े हैं, पूर्ण स्वच्छता अभियान हमारे अभियानों में से एक हैं। मैं वास्तव में पारिस्थितिकी स्वच्छता को प्रोत्साहित करना चाहती हूं, लेकिन हम इन्हें एक साथ शुरू नहीं कर सकते। मैं वास्तव में इस सिस्टम को आने वाले समय में व्यावहारिक पर्यावरण समाधान निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूं क्योंकि स्वच्छता एक

ीण

ास

देश

ा

द्वार

ऐसा मुद्दा है जो काफी अहम भूमिका निभाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता को बनाए रखा जाए और साथ ही कूड़ा–करकट को निपटाने का कोई स्थायी तरीका हो।

प्रश्न 4 : आप मेघालय से हैं, क्या पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आपके पास कोई बेहतर योजना है?

उत्तर : वास्तव में कहूं तो हां, मेरे मन में पूर्वोत्तर के प्रति रूझान है। मैं समझती हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेषकर केंद्र से विकास की अपेक्षा है। मेरा मानना है कि पूर्वोत्तर में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं जो राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकती हैं। वास्तव में, मैं पूर्वोत्तर को पर्यटन विशेषकर पारिस्थितिकी पर्यटन की प्रमुख संभावना के रूप में देखती हूं। मैं समझती हूं कि पूर्वोत्तर में हमें अपनी प्राकृतिक विरासत और जातीयता से समझौता किए बिना अपने क्षेत्र में विकास करना चाहिए।

हमें उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान बनाने चाहिए जिन तक वहां के लोगों की पहुंच हो, तभी हम सही मायनों में प्रगति कर सकते हैं।

मैं यह मानती हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लड़कों और लड़कियों में काफी प्रतिभा है, खेलकूद और संगीत में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है और इसका दोहन किया जाना चाहिए। पारंपरिक संगीत और नृत्य भी बहुत समृद्ध है, और इसमें वे गर्व महसूस करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक क्षेत्र है, किंतु इसे प्रमाणित किया जाना बाकी है। यदि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित कर दें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। यह हमारी जैव–विविधता और फसल की किस्मों को परिरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है।

पूर्वोत्तर को प्राथमिक शिक्षा से ही इतिहास की पुस्तकों में शामिल करने से युवाओं में इसके प्रति सकारात्मक विचारधारा बनाने में मदद मिलेगी।

प्रश्न 5 : आपके विचार में आज ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? और इनसे निपटने की आपकी योजना क्या है?

उत्तर : हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती उन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन है जो पहले से ही चल रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में कई योजनाएं हैं और उनके लिए पर्याप्त निधियां हैं। ये योजनाएं ग्रामीण लोगों की उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन अंततः कार्यान्वयन इतना कारगर नहीं होता जिससे ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि कार्यान्यवन में आमूल–चूल परिवर्तन किए जाएं जिसे लागू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। मंत्रालय वित्त–पोषण एजेंसी है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी हैं। उन्हें यह पुरजोर सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन हो। हमारे पास न तो निधियों की कमी है और न ही नीतियों की, हमारी प्राथमिकता केवल कार्यान्वयन है। राज्यों को पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

प्रश्न 6 : आज की तारीख तक आपने मंत्रालय से क्या कुछ सीखा है?

उत्तर : मैं इस बात से काफी उत्साहित हूं कि मुझे बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने, उनकी बात सुनने का यह सुनहरा अवसर मिला है क्योंकि मेरे लिए यह सभी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मेरे लिए वास्तव में यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं उनसे व्यापक जानकारी प्राप्त करूं और समय आने पर उसे अपने कार्य के जरिए अमल में लाऊं। यह काफी उत्साहजनक है कि मुझे ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल रही है।

मैं इस मंत्रालय से काफी खुश हूं, और यदि मुझे चुनने का अवसर दिया जाता तो मैं और कोई मंत्रालय नहीं चुनती क्योंकि मैं समझती हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे देश का प्रवेशद्वार है।

प्रश्न 7 : आप युवाओं की आदर्श हैं, भारत के ग्रामीण युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर : पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है. "युवा तेजस्वी मन होते हैं..." –हम भविष्य हैं.. हमारे से ही पृथ्वी का स्वरूप तय होगा। वर्तमान पीढ़ी को वास्तव में यह तय करना होगा कि वह क्या करना चाहती है। पर्यावरण दृष्टिकोण पर हमें अपने सिस्टम, अपनी व्यक्तिगत आदतों, अपनी निजी आदतों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने, स्थायी कार्य सुनिश्चित करने तथा धन लोलुपता की बजाय कार्य के प्रति संतुष्टि का भाव पैदा करने जैसी अनेक चीजों में बदलाव लाना होगा। युवाओं के लिए यह संदेश है कि हमें वास्तव में 'पर्यावरण' अनुकूल बनना होगा।

प्रश्न 8 : क्या आप हमारी पत्रिका के माध्यम से पाठकों को कोई संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर : ग्रामीण भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय के बुनियादी मुद्दों से संबंध रखता है, इसलिए पाठकगण अपने अनुभवों, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, के बारे में बताएं और दूसरों को भी जागरूक करें। लोगों को दूसरों को जानकारी देने में गर्व महसूस करना चाहिए।

नरेगा परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ. एस. के. वर्मा एवं डॉ. विनीता कटियार

नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा पर्यावरण संतुलन में सुधार लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है। अतः नरेगा विकास नहीं अपितु स्थाई विकास की धारणा पर आधारित है। नरेगा का उद्देश्य पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए ग्रामीण विकास करना है जिससे स्वच्छ तथा शुद्ध वातावरण प्राप्त किया जा सके तथा पर्यावरण असंतुलन के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर किया जा सके।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अधिकांश श्रमिक शून्य सीमान्त उत्पादकता के साथ कृषि कार्यों में संलग्न हैं और प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पायी जाती है। अतः ग्रामीण लोगों का सामाजिक–आर्थिक जीवन अभावग्रस्त रहता है। ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न विकास तथा रोजगारपरक योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों का मौलिक उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। नरेगा इसी क्रम में एक प्रयास है। अकुशल श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) लागू किया। यह अधिनियम प्रारंभिक चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22 जिले शामिल किए गए। 5 वर्ष के अंदर इसे संपूर्ण देश में लागू करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क अकुशल श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्त वर्ष में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

नरेगा को जनता का कानून कहा जा सकता है, क्योंकि पहला, इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते समय विभिन्न मुद्दों पर जन संगठनों के साथ परामर्श की लंबी प्रक्रिया चलाई गई। दूसरी बात, यह एक ऐसा कानून है जिसमें कामकाजी लोगों की जरूरतों को संबोधित करना और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन को उनके मूलभूत अधिकार के साथ साकार करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे, यह कानून ग्रामसभाओं, सामाजिक आडिट, सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को

भी रोजगार गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। बाकी अन्य कानूनों की तुलना में नरेगा सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।

अधिनियम के उद्देश्य

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं ताकि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। रोजगार गारंटी से उत्पादक संपदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्राम से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

नरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजनाएं

नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत रोजगार गारंटी सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक परियोजनाएं चलाई गई हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अधिनियम की अनुसूची के अनुसार नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य निम्न हैं–

- जल संरक्षण तथा जल संचय।
- सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण।
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों को जमीन तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना।
- परंपरागत जलस्रोतों के नवीकरण हेतु जलाश्यों से गाद की निकासी।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों से जल की निकासी।
- सहज आवाजाही हेतु गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना, सड़क निर्माण परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार पुलिया का निर्माण कराना एवं गांवों के भीतर सड़कों के साथ–साथ नालियां भी बनवाना।
- राज्य सरकार के साथ परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य।

नरेगा तथा पर्यावरण संतुलन

नरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुनिश्चित करना है परंतु इसके अंतर्गत स्वीकार्य परियोजनाओं के भलीभांति क्रियान्वयन से विकास तथा रोजगार के सृजन के साथ–साथ पर्यावरण की क्षति को भी रोका जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रमुख आवश्यकता खाद्यान्न के उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जल की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जल की आपूर्ति के बिना उत्पादन कार्य असंभव है। परंतु विकास के साथ–साथ जल के अधिक मात्रा में प्रयोग से पेयजल की भीषण समस्या पैदा हो गई है। भूमिगत जल के लगातार विदोहन तथा वर्षा के जल के भूमि में पर्याप्त मात्रा में अवशोषित न होने के कारण भूमि में जलस्तर घटता जा रहा है जिससे जल संबंधी असंतुलन पैदा हो गया है। वर्षा के जल का लगभग 52 प्रतिशत समुद्र में जा व्यर्थ हो जाता है। जल संसाधन पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु, मृदा, कृषि वनस्पति तथा जीव–जन्तु सभी इससे प्रभावित होते हैं। अतः जल संसाधन का संरक्षण अपरिहार्य है। नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण परियोजना को शामिल किया गया है। इसके साथ वर्षाकाल में बिना प्रयोग व्यर्थ में बह जाने वाले आवश्यक जल के संचय पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए बांधों, तालाबों, नहरों आदि का निर्माण कराया जा रहा है जिससे जल संचय होगा तथा जल की कमी द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने में भी मदद मिलेगी और पर्यावरण संतुलित रखा जा सकेगा।

नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण के साथ–साथ परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी पर भी जोर दिया गया है। इस कार्य से न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जल संरक्षण के द्वारा ग्रामीण लोगों को साफ तथा स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है। अतः नरेगा के माध्यम से ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य की दशा में भी सुधार आएगा; फलस्वरूप उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।

नरेगा के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण तथा जलभराव से ग्रस्त इलाकों से पानी निकासी की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। जलभराव के कारण भूमि में लवणों का सकेंद्रण बढ़ जाता है और भूमि क्षारीय हो जाती है और भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। जलभराव उत्पन्न होने का मुख्य कारण बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण किसानों द्वारा अति सिंचाई करना है। इसके अतिरिक्त नालियों आदि का अभाव भी जलभराव की समस्या उत्पन्न करता है। नरेगा के अंतर्गत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया है तथा गांवों में भी सड़कों के किनारे–किनारे नाली निर्माण का प्रावधान है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विकास तथा संचालन के लिए वनों की कटाई की जाती है जिससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो

वनों के विनाश से परिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए वनों का ह्रास भयानक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है।

वन वर्षा एवं भूमिगत जलस्तर के लिए उत्तरदायी होते हैं। वनों के कारण आद्रता रहती है, तापमान कम रहता है तथा बादलों का संघनन होकर बरसने में मदद करती है। वृक्षों की जड़ें भूमि की ऊपरी परत को पकड़े रहती हैं जो भूमि कटाव तथा भूक्षरण को रोकती हैं। वृक्ष के पत्ते सड़–गल कर मिट्टी में जीवांश तथा नमी प्रदान करते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। वन हवाओं की गति में अवरोधक होते हैं जिससे तेज हवाओं द्वारा उर्वर मिट्टी की क्षति नहीं हो पाती है। अति वर्षा का अतिरिक्त जल वन की वृक्ष भूमि में अवशोषित कर बाढ़ रोकने के साथ–साथ भूजल स्तर भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा वृक्ष कार्बन–डाई–ऑक्साइड अवशोषित कर पर्यावरण शुद्ध करते हैं। एक वृक्ष अपने संपूर्ण जीवनकाल में 12 टन कार्बन डाई–ऑक्साइड अवशोषित कर 0.04 टन ऑक्सीजन पर्यावरण को देता है। वनों के कटाव से पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है, कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तथा जलवायु परिवर्तन एक उल्लेखनीय समस्या के रूप में उभरा है। नरेगा के वृक्षारोपण तथा वनसंरक्षण से जुड़े होने के कारण पर्यावरण क्षय को कम करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जाता है। नरेगा में स्वीकार्य सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना सिंचाई कार्य में सहयोग दे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव करेंगी।

नरेगा के अंतर्गत भूमि विकास पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए कृषि कार्य करना है। भूमि की उर्वरता इसमें उपस्थित पोषक तत्वों से होती है। इसकी मौलिक संरचना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अनुपयुक्त कृषि पद्धति से खेती करने में भूमि की उर्वरता कम होने लगती है। दोषपूर्ण जल प्रबंधन के द्वारा जलभराव की समस्या बढ़ जाती है जिससे भूमि की उर्वराशक्ति प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव खेती के साथ–साथ अन्य वनस्पति पर भी पड़ता है एवं पर्यावरण असंतुलन पैदा होता है। कृषि कार्य में लगातार रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक आदि के प्रयोग से भी भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। अतः भूमि विकास के लिए नरेगा के अंतर्गत उपयुक्त कृषि प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव–उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है जिससे भूमि की उर्वरता को अक्षत बनाए रखने के साथ–साथ भूमि के भौतिक गुणों में भी सुधार किया जा सकेगा एवं पर्यावरण में आए असंतुलन तथा प्रदूषण को दूर कर स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त किया जा सकेगा।

सूखे से बचाव के लिए नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण परियोजना को शामिल किया गया है। वृक्षों का वर्षा से सीधा संबंध है। अगर वृक्ष नहीं तो सूखा अवश्यंभावी है। लगातार सूखा मरूस्थलीकरण की पूर्व चेतावनी है। अतः वनों के संरक्षण द्वारा सूखा तथा बाढ़ की परेशानियों को कम किया जा सकता है। वन पर्यावरणीय पूर्ति हेतु तथा विकास के नाम पर लगातार वनों का कटाव जारी है।

निष्कर्ष

नरेगा रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूखा, वनों के विनाश, भूमि कटाव जैसी उन समस्याओं को भी संबंधित किया गया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही है। इस कानून के उचित क्रियान्वयन से रोजगार द्वारा गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदला जा सकता है।

(लेखक एस.आर.के. (पी.जी.) कालेज, फिरोजाबाद में अर्थशास्त्र विभाग के रीडर एवं अध्यक्ष हैं।)

ग्रामसभा और नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण

डॉ. निमिषा गौड़

'सामाजिक अंकेक्षण' एक प्रक्रिया है, जिसके तहत लोक संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में उपयोग किए गए वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों संसाधनों का विस्तृत विवरण प्रायः एक लोक मंच के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है तथा यह प्रक्रिया जनता को जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता लागू करने की छूट देकर अन्तिम लाभार्थी को उसके लिए बनी विकास योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना गया है।

गांवों का सारा इन्तज़ाम गांवों को अपने हाथ में लेना होगा; अपना भला–बुरा दूसरा कोई नहीं कर सकता, हम खुद ही अपना उद्धार कर सकते हैं; ऐसा आत्मविश्वास गांववालों में पैदा करना होगा। गांव का कारोबार सम्भालने के लिए ग्रामसभा मज़बूत बनानी होगी।

विनोबा भावे के उक्त विचारों से ओतप्रोत ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के सबसे निम्न स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए ग्रामसभा को संसाधनों के साथ अधिकृत कर अपेक्षा की गई कि ''ग्रामसभा'' पंचायत के लिए वैसी ही होगी जैसी राज्य सरकार के लिए विधानसभा होती है। ग्रामसभा का मुख्य कर्त्तव्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यों के संचालन में जनसहभागिता सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण प्रशासन की संस्था ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखकर उसे आम जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाना है।

ग्रामीण भारत को समर्पित पंचायती राज से ग्रामीण विकास की संकल्पना के क्रियान्वयन के बाद भी देश में खाद्यान्न संकट एवं व्यापक भुखमरी की स्थिति ने विकास की नीति पर कई प्रश्न खड़े कर दिए।

देश की अधिसंख्यक आबादी की ज़रूरतों को पूरी करने हेतु 70 के दशक में ''ग़रीबी और बेरोजगारी पर सीधे प्रहार'' की नीति

अपनायी गई। इस हेतु ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार के विभिन्न विस्तृत कार्यक्रम अपनाए। विकास एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों की बहुलता एवं उनमें इच्छित सम्बन्धों के अभाव को देखते हुए 1999–2000 में विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं की पुनः संरचना की गई तथा स्वर्ण जयन्ती एवं स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजनाएं बनायी गई।

किन्तु इन सभी प्रयत्नों में एक मूलभूत तथ्य विस्मृत हो गया कि ग्रामीण ग़रीबी का मूल कारण बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः संरचनात्मक है। ग्रामीण जनता का अधिकांश हिस्सा भूमिहीन या अल्पभूमिधारक है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर आर्थिक क्रियाएं अविकसित हैं। कृषि कार्यों के मौसमी एवं अनिश्चित रोजगार के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में अत्यल्प वृद्धि हुई है जो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में नगण्य है। ग़रीबों के पास खुद का काम करने के लिए आवश्यक पूंजी के अलावा दक्षता, अनुभव, व्यापारिक कौशल एवं बाजार के अग्र–पश्च सम्बन्धों की समझ और उपलब्धता की कमी के कारण स्वरोजगार की सरकारी योजनाएं भी ग्रामीण ग़रीबों के एक छोटे हिस्से को ही राहत दे पाई हैं। फलतः ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने को तैयार होने के बावजूद गांव में ही रोजगार पाने में असमर्थ होने से शहरों की तरफ पलायन करता है या भुखमरी सहन करते हुए अमानवीय परिस्थितियों में जीवनयापन करता है।

आज़ादी के छः दशक बाद भी ये परिस्थितियां भारत जैसे प्रजातांत्रिक एवं लोककल्याणकारी राज्य के लिए शर्मनाक थी। अतः सरकार एवं अनेक गैर–सरकारी सामाजिक संगठनों के मध्य अनेक स्तरों पर विस्तृत विचार–विमर्श के समुद्र मंथन से ''नरेगा'' जैसा अमृत कलश निकल कर आया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यदि किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

इस योजना में मुख्यतः जल, जंगल व जमीन तथा जनकल्याण ा से जुड़े कार्य करने की अनुमति है। यह ऐतिहासिक अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अपने ही स्थान पर 100 दिन के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नरेगा की अन्य विशेषताओं में सरकार से काम मांगने का अधिकार, ग्रामवासियों द्वारा कार्य चयन, राज्य सरकार द्वारा आवेदक को कार्य उपलब्धता नहीं होने पर सुनिश्चित बेरोजगारी भत्ता, लाभान्वितों की कुल संख्या में एक तिहाई महिलाओं का हिस्सा, पंजीकृत व अपंजीकृत ठेकेदारों तथा अनावश्यक मशीनी कार्यों पर प्रतिबन्ध, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था आदि प्रमुख हैं। योजना के नियोजन से लेकर कार्यक्रम चयन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सभी स्तरों पर ग्रामसभा की निर्णायक भूमिका रखी गई है और पूर्व की योजनाओं से भिन्न नरेगा ग्रामसभाओं द्वारा सामाजिक ऑडिट, सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। इस तरह यह सच्चे अर्थों में 'जनता का कानून' है जो लोकतंत्र में सत्ता अर्थात् कार्यकारी तन्त्र एवं योजनाओं को सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए एवं जनता का बना कर जनता का आत्मीय जुड़ाव एवं पूर्ण जनसहभागिता प्राप्त कर सकता है।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग़रीब ग्रामीण जन को सक्षम, सशक्त एवं क्रियाशील बना कर ही सम्भव है। इस युग में ज्ञान ही शक्ति है और योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारियां एवं सूचनाएं पाकर ही आम जनता सवाल पूछने में और जवाबदेही तय करने में सक्षम हो सकती है। इसी बाबत जनता को सरकारी कार्यों की अधिकतम जानकारी देने वाला व्यापक एवं विस्तृत प्रावधान युक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद से पारित कराया है। इस प्रकार सूचना एवं जानकारी से सम्पन्न स्थानीय जनता द्वारा जनसुनवाई जैसे तरीकों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन एवं जांच–पड़ताल की संकल्पना ही अपने संस्थागत स्वरूप में 'सामाजिक अंकेक्षण' (सॉशियल ऑडिट) के नाम से सामने आयी है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा द्वारा विकास योजनाओं की समीक्षा एवं संपरीक्षा करने के प्रावधान किए गए हैं। ग्राम–सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत एवं स्थानीय सरकारी कर्मियों से स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं एवं किए गए व्यय की बाबत खुले रूप से हिसाब लेकर वास्तविक रूप से हुए व्यय एवं निष्पादित कार्यों का सत्यापन किया जाता है। इस प्रकार 'सामाजिक अंकेक्षण' की अवधारणा ग्रामसभा के माध्यम से मूर्त्त रूप लेती है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामसभा की प्रमुख भूमिका स्वीकृत करते हुए धारा 17 में उल्लेखित करता है कि –

- ग्रामसभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेगी;
- ग्रामसभा ग्राम पंचायत के भीतर आरम्भ की गई योजना के अधीन सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी और
- ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके अन्तर्गत मस्टररोल, बिल वाउचर, माप पुस्तिकाएं, स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित लेखा बहियां तथा कागज पत्र हैं, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्रामसभा को उपलब्ध कराएगी।

इसी अधिनियम की धारा 19 यह प्रावधान करती है कि "राज्य सरकार, योजना के क्रियान्वयन के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निस्तारण के लिए नियमों द्वारा खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समुचित तंत्र निश्चित करेगी और ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

इन न्यूनतम विशेषताओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता को सम्मिलित कर सूचना का अधिकार तथा सामाजिक अंकेक्षण को मान्य उपकरण घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त नरेगा के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करने हेतु अंकित पक्षों को सम्मिलित किया गया है –

- लाभार्थियों का पंजीकरण।
- जॉब कार्ड का निर्गमन एवं उसमें अद्यतन प्रविष्टियां।
- कार्य चाहने वाले आवेदन–पत्रों की पावती।
- परियोजनाओं का चयन।
- कार्यों का क्रियान्वयन।
- प्रमुख दस्तावेजों, जैसे – मस्टररोल माप–पुस्तिका, रोजगार एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर का संधारण तथा पारिश्रमिक भुगतान।

नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। निरंतर चलायमान सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभान्वितों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से समावेश करते हुए और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक गतिविधि/परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों के सबसे ज्यादा अनुकूल ढंग से संचालित की जा रही है और इस पर निगरानी हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को उत्तरदायी बनाया गया है।

उक्त प्रक्रिया के तहत प्रत्येक गतिविधि की कार्ययोजना का विवरण और काम की ज़रूरतों के बारे में बताने हेतु संभावित मज़दूरों के साथ एक खुली 'परियोजना बैठक' बुलाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ग्रामसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। इसी बैठक में सदस्यों द्वारा उस कार्य हेतु 'चौकसी एवं निगरानी समिति' के सदस्यों का चुनाव किया जाता है जिसमें दुर्बल वर्गों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो तथा उक्त समिति क्रियान्वयन के दौरान कामों की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखती है।

कार्य पूरा होने पर फिर एक बार 'खुली परियोजना बैठक' बुलायी जाती है और उसमें परिपूर्णता आंकड़ों को प्रस्तुत कर उससे संबंधित उठे सवालों के निदान के बाद ही परिपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस परिपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ ही चौकसी और निगरानी समिति की अंतिम रिपोर्ट भी नत्थी कर आगामी ग्रामसभा की बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

प्रत्येक छः माही अन्तराल पर एक समावेशी जन सुनवाई के लिए ग्रामसभा की विशेष बैठक बुलवायी जानी आवश्यक है जिसे 'सामाजिक अंकेक्षण फोरम' नाम दिया गया है तथा जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के तमाम पहलुओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाती है। इस बैठक में क्रियान्वयन निकाय से जुड़े अधिकारी प्रतिनिधि की उपस्थिति भी आवश्यक है।

फोरम में सभी सूचनाएं जोर–जोर से पढ़कर सुनाने, व्यक्तियों द्वारा अफसरों से सवाल पूछने, जानकारियां हासिल करने, खर्चों की जांच और तस्दीक करने, अपने अधिकारों की पड़ताल करने, जिन कामों का चुनाव किया गया उनके बारे में चर्चा करने तथा काम की गुणवत्ता व कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के व्यवहार का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मौका दिया जाता है।

फोरम की कार्यवाही पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से चलाने हेतु उसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो ग्राम पंचायत या किसी भी क्रियान्वयन निकाय से जुड़ा हुआ नहीं हो। फोरम का सचिव एवं कार्यवाही संचालक भी स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। फोरम का एक अनिवार्य एजेंडा भी कानूनन तय किया गया है।

कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक अंकेक्षण फोरम का आयोजन सुनिश्चित करे। फोरम की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजे जिससे आवश्यक विभागीय, अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रकार 'सामाजिक अंकेक्षण फोरम' के माध्यम से छमाही तौर पर समावेशी जनसुनवाई कर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को पूर्णता पर पहुंचाया जाता है।

नरेगा में क्रियान्वयन के स्तर पर विचलन रोकने हेतु ग्रामसभा के माध्यम से निरन्तर सार्वजनिक निगरानी की 'सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया' द्वारा सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय करने की कोशिशें धरातल पर क्या रंग ला रही हैं? स्थानीय दबंग एवं प्रभावी व्यक्तियों एवं अन्य निहित स्वार्थों पर कितना प्रभावी अंकुश लगा है? योजना के लक्षित लाभान्वित दुर्बल–ग़रीब वर्ग के लोग योजना का कितना लाभ उठा पा रहे हैं? अपने अधिकारों एवं हकों की पहचान करने की कितनी जागरुकता उनमें आयी है? क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाओं में कितनी वास्तविक सहभागिता दुर्बल–लाभान्वित वर्ग को मिल पा रही है? विभिन्न सूचनाओं एवं तथ्यात्मक जानकारियों तक उनकी पहुंच कितनी सहज है? प्रावधानानुसार क्या सभी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से वास्तव में प्रदर्शित की जा रही हैं? पिछले लगभग चार वर्षों के नरेगा क्रियान्वयन में ग्रामीण ग़रीब, दुर्बल वर्ग में यह भरोसा कितना जमा है कि प्रभावशाली दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी? निहित स्वार्थों के खिलाफ आवाज उठाने पर संभावित नुकसान की आशंका मिटाने हेतु क्या उसे कोई प्रभावी व्यवस्थागत संरक्षण मिला है? विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय चंद मुट्ठी भर ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीणों के भरोसे जागरुकता का स्तर उठा पाने में कहां तक सक्षम एवं प्रभावी सिद्ध हुए हैं? ग्रामीण जनों की जागरुकता एवं भरोसा बढ़ाने वाली अपेक्षित भूमिका की तुलना में स्थानीय प्रिंट एवं विजुअल मीडिया की कैसी और कितनी प्रभावी भूमिका रही है? ऐसे अनेकानेक प्रश्नों का संभावित उत्तर नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण की वास्तविक स्थिति की जांच–पड़ताल ग्रामसभा सदस्यों के करने पर ही मिलेगा।

नरेगा आज तक की ग्रामीण विकास योजनाओं में सबसे बड़े बजट वाली व्यापक एवं विस्तृत योजना है जिसमें प्रत्येक राज्य में हजारों करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किए जा रहे हैं। इस व्यय का अधिकतम लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने हेतु बहुत बारीकी से सटीक एवं विस्तृत कार्य योजना बनायी गई है जिसमें निधियों के व्यर्थ बहाव को रोकने हेतु सम्भावित छिद्रों को बन्द करने के लिए प्रत्येक पहलू पर बारीकी से नजर रखने एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही के प्रावधान हैं परन्तु कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो; उसका क्रियान्वयन मानवीय संसाधन की गुणवत्ता, ईमानदारी, दक्षता, इच्छाशक्ति, सहभागिता आदि कई बातों पर निर्भर है।

नरेगा के प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2009 के विजेता नीरज कुमार पवन (आई.ए.एस.) जिला कलेक्टर, करौली, राजस्थान के अनुसार ''ग्रामसभा का उपयोग नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण में अधिक सार्थक रूप से किया जा सकता है यदि ग्रामसभा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जानकारी एवं जागरुकता के स्तर को इस उद्देश्य के साथ बढ़ाया जाए कि वे नरेगा का लाभ लेते हुए उसकी कमियों को इंगित कर सके।'' इसमें एक ओर तो ग्रामीण जनता में शिक्षा–जानकारी एवं जागरुकता बढ़ाकर उन्हें 'शासित' वाली मानसिकता से उबारना है तथा अपने हक व अधिकारों को पहचान कर सामाजिक अंकेक्षण में प्रभावी जन सहभागिता करने में सक्षम बनाना है तो दूसरी ओर क्रियान्वयन तंत्र को पारदर्शी, ज़वाबदेह एवं संवेदनशील बनाने तथा उसमें सामाजिक अंकेक्षण की स्वीकार्यता बढ़ाकर उसे 'शासक' वाली मनोवृत्ति से निकालकर लोक–सेवक मनोवृत्ति में ढालने की तरफ उन्मुख करना है। इस तरह से समाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की संस्कृति विकसित होगी जिससे समाज के दमित वर्ग सक्षम बनकर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे। यह संस्कृति सिर्फ नरेगा ही नहीं बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास की अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक होगी जिससे 'ग़रीबी मिटाओ' का नारा सार्थक होगा और बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकेगी। फलतः भारत का विस्तृत ग्रामीण समाज अपने सभी वर्गों को समरसता एवं एकजुटता के सूत्र में पिरोकर, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में शहरी समाज के साथ स्वस्थ तथा बराबरी के संबंध कायम कर, संतुलित विकास द्वारा देश की सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक अर्थात् सर्वांगीण उन्नति में सहभागी बन सकेगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई. मेल : innisnidha@gmail.com

नरेगा से बिहार में गांवों की बदलती तस्वीर

डॉ. रमेश कुमार सिंह

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा देश भर के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 से लागू कर दी गई और अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 जिलों में लागू हो गई है। यह योजना सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से प्रारंभ हुई थी। इस योजना के मद में केंद्र और राज्य सरकारों का योगदान क्रमशः 90:10 है। इस योजना में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना को समाहित कर लिया गया है। बजट 2009–10 में नरेगा के लिए 39,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले बजट 2008–09 की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक हैं।

इसको ईमानदारी से सहरज़मीन पर उतारना अब राज्य सरकारों की मंशा और कर्तव्यनिष्ठा पर निर्भर करता है। एक लंबे जनसंघर्ष के बाद इस विधेयक का संसद में पारित होना जन–संघर्षों की एक बड़ी जीत दर्शाता है क्योंकि काम का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए ''गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार'' की पूर्व शर्त है। संविधान के अनुच्छेद 451 में भी देश के प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की बात की गई है जो यह साबित करता है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है।

बिहार में गांवों की तस्वीर बदलने लगी है। गरीब मजदूरों को अब अपने घर में ही काम मिल रहा है। अब उसे अपने बच्चों के साथ दो जून की रोटी भी नसीब हो रही है। कोई परदेस नहीं जाना चाहता। अपने घर में ही रहकर अपने मुन्ने का भविष्य बनाना चाहता है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब आंखों में सुंदर सपने पलने लगे हैं।

नरेगा कानून के मुख्य बिंदू

- प्रारंभ में भारत के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में तुरंत रोजगार गारंटी कानून लागू करना और शेष जिलों में समयबद्ध तरीके से विस्तारित करना।
- इस कानून के तहत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को राज्य में लागू न्यूनतम अकुशल मजदूरी के आधार पर काम उपलब्ध कराना सरकार के लिए अनिवार्य होगा।
- काम 15 दिनों के अंदर और उसी ग्राम में अन्यथा 5 किमी. के दायरे के अंदर उपलब्ध कराना होगा। 5 किमी. के दायरे के बाहर होने पर श्रमिक को यात्रा किराया और अन्य खर्चे हेतु मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- 14 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने में असफल रहने पर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का कम से कम एक चौथाई शुरू के तीस दिनों के लिए और उसके बाद आधा देना होगा।

- कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर 25000 रु. का अनुदान देने का भी प्रावधान है।
- इन कामों के तहत विकास से संबंधित कार्य जैसे जल–संचयन व संग्रहण, भूमि सुधार कार्य, अकाल से बचाव के, बाढ़ नियंत्रण कार्य, सड़क निर्माण आदि काम जो ग्रामसभा की बैठकों में आम सहमति या प्राथमिकता के आधार पर तय किए जाएंगे' शामिल होंगे।
- एक बार लागू होने के बाद इस कानून को संबंधित जिले से वापस नहीं लिया जा सकेगा।
- इसमें महिलाओं का हिस्सा एक तिहाई रखा गया। वह भी लगातार 14 दिन तक।
- मशीन से कार्य करवाना वर्जित है।

एक सशक्त लोकतंत्र के लिए यह बुनियादी बातें हैं कि हर हाथ को काम दो वरना काम का दाम दो। आज वैश्वीकरण एवं निजीकरण के दौर में मजदूर हित और इनकी गरिमा समाप्त होती जा रही थी परंतु अब इस कानून के बनने से देश के करोड़ों अकुशल मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठने के साथ उनकी गरिमा में भी वृद्धि हो रही है।

बिहार में नरेगा की जमीनी हकीकत को तलाशती ये दास्तान

बिहार के पूर्णिया जिला के निवासी पूरब प्रखण्ड अब्दुलानगर ग्राम पंचायत के सुरेश पासवान अब पंजाब नहीं जाते। पिछले कई साल से जलील ऋषि और पुरन ऋषि भी जालंधर नहीं गए। कहते हैं, मुद्दत के बाद घर की रोटी नसीब हुई है। घर पर काम और घर का सुख। और क्या चाहिए, पूरी खुशहाली है।

सुरेश और पुरन अब्दुलानगर के अकेले ऐसे मजदूर नहीं है। पूरब प्रखंड की इस पंचायत में हजार से अधिक मजदूरों की जिन्दगी नरेगा ने बदल दी है। पलायन पर तो ब्रेक लगा ही है, घर में खुशहाली भी आई है। इस पंचायत में हाल तक नरेगा की कुल छः योजनाओं पर काम हुआ है। इसमें 11 लाख 26 हजार की मिट्टी भराई ईंट सोलिंग की योजना सबसे बड़ी थी जिसमें एक साथ 26 सौ मजदूरों को काम मिला। जलील ऋषि, लक्ष्मण ऋषि, पूरन ऋषि आदि बताते हैं कि इस पंचायत के 19 गांवों में लगभग तीन हजार मजदूर हैं और लगभग सभी को जॉब कार्ड मिला। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल है कि योजना लगातार नहीं चलती है। किंतु इतनी राहत जरूर है कि पेट की भूख और बाल–बच्चों की परवरिश के लिए घर–परिवार छोड़ दिल्ली–पंजाब जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

पंचायत के सिंघिया मुसहरी टोला की पारो देवी अब काफी खुश है। फाकाकशी के दिन लद गए तो छोटका बेटा मुन्ना स्कूल जाने लगा है। दो साल पहले डेढ़ सौ रुपये में रेडियो खरीदा था। आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी घर में है। उर्मिला देवी, कालो देवी, माध्वी देवी आदि आज भी मजदूरी करती हैं पर उन्हें इस बात का सुखद अहसास है कि पति को कमाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। साथ रहते हैं, साथ कमाते हैं। पंचायत के उप–मुखिया मदन कुमार बताते हैं कि नरेगा के कारण इन मजदूरों का न केवल पलायन रुका है बल्कि उनकी जीवनशैली में भी काफी बदलाव आया है। कई ने अपने घर बनाए तो कई बच्चों की पढ़ाई–लिखाई के प्रति गंभीर हो गए हैं। वैसे, इस पंचायत के मजदूरों को मलाल है कि नरेगा में अधिकतम मजदूरी सौ रुपये तक मिलती है जबकि बाजार में दिन भर काम करने पर डेढ़ सौ रुपये प्राप्त होते हैं। वे मानते हैं कि नरेगा से उनकी जिंदगी बदली है पर बाजार के हिसाब से ही मजदूरी की दर निर्धारित होनी चाहिए।

सलमा के जीवन का अंधेरा छंटने लगा है। बुजुर्ग कपिलदेव यादव अब दिल्ली कमाने नहीं जाते, नरेगा ने दियारे के सिकटियां के भृगुनाथ पटेल, छोटे लाल सिंह, विश्वम्भर प्रसाद, योगेन्द्र प्रसाद, अशोक सहित सैकड़ों ग्रामीणों को बच्चों के भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया है। इन्हें गांव में ही अब काम मिल रहा है और इनकी मेहनत से विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। समस्तीपुर जिला के बरौली प्रखंड की रामपुर पंचायत के तहत सौनीसलेमपुर छरकी के किनारे बसा है यह गांव। इसी गांव के सैकड़ों युवा, बुजुर्ग, महिला–पुरुषों की मेहनत से गांव की हवा बदलने लगी है।

मुखिया रामश्रोता प्रसाद का कहना है कि सैकड़ों गरीब मजदूर काम की तलाश में पहले दिल्ली, पंजाब की गलियों में भटकते थे। परन्तु आज ठीक उल्टा है। मजदूरों का पलायन बहुत हद तक थम गया है। यहां के करीब एक हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत पंचायत की कई विकट समस्याओं का निदान हुआ है जो वर्षों से थी। मलाही टोला से हसनपुर चंवर की तरफ जाने वाले जर्जर नाले का जीर्णोद्धार कराया गया। नाले का अस्तित्व खत्म हो गया था जिससे न सिर्फ टोले में जलजमाव की समस्या व्याप्त थी बल्कि किसानों को फसल सिंचाई करने में भारी कठिनाई हो रही थी। इसी प्रकार छरकी से सिकटियां उतर टोला होते सलेमपुर बाजार तक जाने वाली सड़क की हालत वर्षों से खस्ता थी। गांव के लोगों को सलेमपुर बाजार जाने के लिए तीन किमी. का फेरा लगाना पड़ता था। नरेगा से सड़क का जीर्णोद्धार कराया गया। ग्रामीणों की आवाजाही में आसानी हो गई। नरेगा से ऐसे कई अन्य कार्य भी कराए गए हैं। जॉबकार्डधारी सलमा ने बताया कि सात परिवार को योजना का सहारा मिला है। अब हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। चिंता देवी का कहना था कि जब से नरेगा आया है तब से चूल्हा जलने लगा है। राजू, संजू पढ़ने भी जाने लगे हैं।

12 वर्ष पूर्व पति का सर से साया उठ गया। तीन छोटे बेटों को एवं उन्हें तालीम दिलाने की फिक्र। छोटा–मोटा काम कर परिवार का भरण–पोषण करने वाली विधवा सलमा खातून की खुशी उस दिन सातवें आसमान पर थी जब नरेगा में मजदूरी करने पर पहले दिन और पहली बार उसके हाथ में 79 रुपये आए। रोहतास जिला के अकोढ़ीगोला प्रखंड अंतर्गत बराढ़ी पंचायत के ब्रह्मटोला निवासी मरहूम नूर मोहम्मद अंसारी की सलमा बताती हैं कि उनकी पंचायत के मुखिया सिकन्दर सिंह ने उनकी गरीबी पर तरस खा पहली बार नरेगा के तहत काम करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें लगातार नरेगा के तहत काम मिलता रहा। उनके काम में अब हाथ बंटाने लगा है उनका 20 वर्षीय बड़ा बेटा मुख्तार अंसारी। दो अन्य बेटे 16 वर्ष का इसरायल अंसारी एवं 13 वर्ष का इजाज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सलमा का सपना है कि अपने इन दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी में देखना। सलमा ने हिम्मत दिखाई तो प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने भी आगे बढ़कर उसे इंदिरा आवास बनवा दिया। मिट्टी के घर की जगह अब पक्के मकान में रह रही आत्मविश्वास से लबरेज बताती हैं कि पहले वर्ष इस योजना के तहत उन्हें 60 दिन काम मिला। बाकी दिनों में वे कृषि मजदूर के रूप में धन की रोपनी–सोहनी आदि का कार्य करती रही हैं। सलमा आज अपने बच्चों के साथ काफी खुश है।

ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में सौ दिन के रोजगार का अवसर प्रदान करने वाला नरेगा क्षेत्र के मजदूरों में खुशहाली की नई गाथा लिख रहा है। रोहतास जिला के कोचस प्रखण्ड कथराई पंचायत के भाराडीह बहुआरा गांव की महिला मजदूर सुषमा देवी, रामसरैया की झकसी देवी तथा तेतरिया एवं ढ़कनियां गांव के मजदूर सुरेस राय, चुनचुन राय, दवेन्द्र राय, विनोद पासवान आदि बताते हैं कि जॉब कार्ड मिलने के बाद पंचायत में चल रही सरकारी योजनाओं में उन लोगों को काम करने का भरपूर मौका मिला, जिससे परिवार का भरण–पोषण हो रहा है। उनकी माली स्थिति में सुधार हुआ तथा अब वे सभी खुशहाल जीवन बसर कर रहे हैं। अन्य जॉब कार्डधारी मजदूर नंदलाल पासवान, देवी राय, सुधर कुमार, नरायण सोरेन, नगिया देवी, चमेली देवी, कौशल्या देवी आदि ने बताया कि पिछले दो वर्षों से उन सभी ने रोजी –रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जाना छोड़ दिया है। अब वे सभी नरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं में मजदूरी कर अपना तथा परिवार का गुजारा कर रहे हैं। अब अकुशल श्रमिकों के लिए नरेगा वरदान बनकर आया है। इस योजना ने ऐसे मजदूरों को काम मुहैया कराया है, जो काम करना चाहते हैं। इस योजना से जुड़े मजदूर मानते हैं कि उनकी जिन्दगी संवर गई है। उन्हें अपने ही घर में काम और इसके एवज में मजदूरी मिल रही है। इससे खुशहाली लौट आयी है। नरेगा में इतना काम मिल जाता है कि परिवार के भरण–पोषण के साथ–साथ नौनिहालों की पढ़ाई का भी इंतजाम हो जाता है।

हथुआ प्रखंड मुख्यालय से 15 किमी. दूर पचफेड़ा पंचायत में नरेगा के माध्यम से कामयाबी की एक नई गाथा लिखी जा रही है। ये कहानी लिख रहे हैं खेतीहर तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूर। नरेगा यहां बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब रहा है। इससे मजदूरों को रोजगार मिला है और इस कारण पलायन भी रुका है। प्रखंड में दो साल से ज्यादा के सफर में यह योजना मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। पंचायत के मजदूर नागेश्वर बैठा, ललन महतो, शक्तिनाथ मांझी, बंगाली साह, दिनेश बैठा, अतवारी देवी, गांगो देवी, धनेश्वर बैठा, सुरेश गोड़ जग्गीलाल बैठा, विनोद शर्मा आदि की आंखों में चमक तथा चेहरों पर सुकून का भाव है। उनका कहना है कि जब से नरेगा शुरु हुआ है उन्हें काम की तलाश में गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। खेती के बाद खाली दिनों में भी अच्छा खासा काम मिल जाता है।

पंचायत के अशोक साह तो पूरे परिवार के साथ मुंबई छोड़ दुबारा गांव में ही आ बसे। कभी रोटी के लिए तरसने वाले जवाहर राजभर अब पत्नी व तीन लड़कियों का गुजर–बसर गांव में ही कर रहे हैं। नारद राय को अब काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। नरेगा के तकनीकी सहायक राजीव रंजन सिंह बताते हैं कि पंचायत का कविलसवा वाटर कोर्स विलुप्त हो गया था। उसे नरेगा द्वारा पुनरुद्वार कर अस्तित्व में लाया गया है। आज स्थिति यह है कि चारों तरफ अकाल की काली छाया के बावजूद पंचायत में 500 बीघे से अधिक की सिंचाई हो रही है। जहां फसल पहले सूख जाती थी वहां आज धान की फसल लहलहा रही है। मुखिया पारसनाथ गुप्ता बताते है कि नरेगा ने गांव की हवा बदल दी है। मुखिया कहते हैं कि सुरवनिया गांव में पहले 100 बीघा खेत पानी से प्रभावित हो दह जाता था। लेकिन नरेगा द्वारा सुरवनिया खाड़ की सफाई से खेतों में हरियाली के साथ–साथ घरों में खुशहाली भी आई है। पंचायत में नरेगा के तहत सुरवनिया गांव को संपर्क पथ बना मुख्य पथ से जोड़ने से किसानों को सुविधा हुई। अब उनके उत्पाद अन्य साधनों द्वारा आसानी से बाजार में पहुंच रहे हैं। चैनपुरा गांव, जो बरसात के मौसम में बाहरी दुनिया से कट जाता था, वहां संपर्क पथ बना जिससे विकास को गति मिली। मध्य विद्यालय कविलसवा तक रोड बनने से शिक्षा की बयार बही। पंचायत रोजगार सेवक संतोष कुमार बताते है कि इस वर्ष 95 परिवार के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है।

परदेस की पूड़ी से घर की रोटी अच्छी, नरेगा में गांव में ही मजदूरी मिल रही है, इसलिए परदेस जाना छोड़ दिया। दरभंगा जिला के शंकरपुर पंचायत के जॉबकार्डधारी मो. मुर्तुजा, मो.बहाव,

फ़कीरा यादव आदि मजदूरों का यही कहना है। वे कहते हैं कि परदेस के दो पैसे एवं घर के एक पैसे की कमाई बराबर है।

इसी तरह परदेस में काम क़रने वाले कई मजदूर ने बताया कि वहां के लोग भी हेय दृष्टि से हम मजदूरों को देखते थे। अब नरेगा से दो ढ़ाई हजार रुपये एक माह में तो मजदूरी मिलती ही है। सुबह–शाम परिवार का काम भी देख लेता हूं।

नरेगा के कार्यान्वयन से गांवों के नक्शे भी बदल गए हैं। इससे आम के आम एवं गुठली के दाम निकल रहे हैं। जहां गांव का विकास हो रहा है, वहीं मजदूरों का पलायन रुका है। मुखिया अहमद अली तमन्ने एवं पीओ प्रभात कुमार झा ने बताया कि मजदूरों के लिए काम की कमी नहीं रहेगी। बरसात में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता रहेगा।

नरेगा ने विकास की राह आसान कर दी है। वर्षों से सड़क के लिए तरस रहे लोगों को नरेगा ने आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी है। जिला गोपालगंज प्रखंड भोरे के हरदिया, बड़हरा, जिगना, अमहीं आदि गांवों के लोगों को सड़क के अभाव में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती थी। लोगों को तीन–चार किलोमीटर दूर से घुमकर बगल के ही गांव में जाना पड़ता था। इस वर्ष नरेगा द्वारा 99 हजार रुपये की लागत से हरदिया पंचायत भवन के उत्तर से शुरू होकर धर्मपुर बड़हरा तक जाने वाली करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क पर मिट्टी डालकर सड़क बनाई गई है। इससे एक तरफ जहां हजारों लोगों को आवागमन हेतु रास्ता सुलभ हो गया है, वही करीब 1075 मजदूरों को रोजगार भी मिला है। पहले लोगों को बगल के गांव में ही जाने के लिए तीन–चार किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी आज आध घंटा के अंदर आसपास के किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं। इस सड़क के बन जाने से हरदिया, बड़हरा, जिगिना, मिठिया, शिवराजपुर आदि आधा दर्जन से अधिक गांवों के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वही इस सड़क निर्माण में काम करने वाले कई मजदूरों ने बताया कि नरेगा द्वारा कराए गए इस सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार मिला है, जिसकी वजह से हम लोगों को रोजी–रोटी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। नरेगा की वजह से आज घर पर ही पर्याप्त रोजगार मिल रहा है।

कैमूर जिला के बैना ग्राम निवासी अर्जुन राम गरीब मजदूर है। उसके तीन पुत्र व एक पुत्री है। अर्जुन चाहता था कि उसके बेटे पढ़कर अफसर बनें। लेकिन कठिन परिश्रम के बाद मिलने वाली मात्र 50 रुपये की मजदूरी से यह संभव नहीं था। खेती की जमीन नहीं थी। बेटों की पढ़ाई को लेकर अर्जुन काफी चिंतित रहने लगा। उसने नरेगा के रोजगार सेवक सुनील सिंह को अपनी व्यथा सुनायी। सुनील ने पति, पत्नी व पुत्र अजय को नरेगा के तहत जॉबकार्ड दिलवा दिया। वर्ष 2006 से वह नरेगा के तहत काम करने लगा। अब 60 की जगह 82 रुपये मिलने लगे। उसका हौंसला बढ़ा और आलोक का नामांकन एम.ए में करा दिया। पवन की पढ़ाई भी जारी रखी। अर्जुन को बीपीएल योजना से अनाज मिल जाता है और नरेगा से काम जिससे परिवार को अच्छी कमाई हो जाती है। अब तो नरेगा से 102 रुपये दैनिक मजदूरी मिलने लगी है। उसका एक और सपना है– इकलौती बेटी सरिता की शादी धूमधाम से करना। अर्जुन के पिता तिलकधारी राम ने मजदूरी करके अपने बड़े बेटे विपिन बिहारी को पढ़ाकर अफसर बना दिया। लेकिन गरीब पिता छोटे बेटे अर्जुन को नहीं पढ़ा सका और वह गांव पर मजदूरी करने लगा। अर्जुन के जीवन में नरेगा के चलते बदलाव आया है। अब उसने मोबाइल फोन भी खरीद लिया है।

इस प्रकार नरेगा सामाजिक न्याय की एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से गरीबी मिटाने, भोजन करने का अधिकार देने, शिक्षा का अधिकार देने जैसी योजनाओं को सफल बनाने में मदद मिल रही है। नरेगा ने हमारी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में मदद की है तो अब सूखे और बाढ़ से भी निकालने में सहायक हो रही है। सरकार सन् 2014 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखकर नरेगा से भी आगे की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना लाने की तैयारी में है। प्रधनामंत्री मनमोहन सिंह ने विगत 2 अक्तूबर को इस योजना को महात्मा गांधी के नाम से जानने की घोषणा की है। इस बीच राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाने का रास्ता साफ हो रहा है, जहां सरकार तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से नियमित विमर्श करेगी। लेकिन नरेगा पर कई तरह की आपत्तियां हैं और उनमें कुछ पर मौखिक और कुछ पर व्यावहारिक तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर नरेगा में कुछ स्थायी महत्व के काम जोड़े जाएं और इस दौरान लोगों के कौशल का विकास भी किया जाए तो इससे योजना की दीर्घकालिक सार्थकता बनेगी।

(लेखक जी.एस. मिश्रा कालेज, रोहतास (बिहार) में अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं।)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

बहूपयोगी जौ की खेती

डॉ. वाई.एस. शिवे

जौ विश्व के महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में से एक है और इसकी खेती हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती है। जौ को मुख्यतया चने या गेहूं के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। कभी-कभी इसको भून व पीस कर सत्तू के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं को भी दाने के रूप में जौ खिलाया जाता है। पश्चिमी देशों में जौ की बड़ी मात्रा शराब बनाने के काम में आती है। संसार में जौ की सबसे अधिक खेती रूस में होती है।

भारत में जौ की खेती लगभग 6.46 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 13.27 लाख टन है। भारत में जौ की खेती लगभग सभी राज्यो में होती है पर इसका मुख्य उत्पादन उत्तर-पश्चिमी भारत में होता है। जौ की खेती में राजस्थान पहले स्थान पर है और राजस्थान में इसकी खेती लगभग 2.32 लाख हेक्टेयर में की जाती है और इसका उत्पादन लगभग 5.91 लाख टन प्रति वर्ष है। भारत में उड़ीसा, असम और तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों में जौ की खेती होती है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश हैं। राजस्थान में जौ मुख्यतया जयपुर, अलवर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा नागौर मंडलों में उगाया जाता है।

जलवायु : जौ शीतोष्ण जलवायु की फसल है, लेकिन उपोष्ण जलवायु में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी खेती पहाड़ों पर या ठंडे मौसम में ही की जाती है। 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर जौ को उगाया जा सकता है। जौ की खेती के लिए ठंडी और नम जलवायु उपयुक्त रहती है अतः भारत में इसे जाडों में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। नमी अधिक होने पर (विशेषकर पकने से पहले) रोगों का प्रकोप अधिक होता है। जौ सूखे के प्रति गेहूं

भी उसी भूमि में उगाया जाता है, जौ गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती है। जौ के खेत में जल निकास का उचित प्रबन्ध होना आवश्यक है, अतः जौ की खेती के लिए ऊंची भूमि ही होनी चाहिए। मामूली ऊसर भूमि में भी जौ उगाया जा सकता हैं। लवणों के प्रति भी यह गेहूं की अपेक्षा अधिक सहनशील होता है। अम्लीय भूमि में जौ को नहीं उगाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि सूखे एवं क्षारीय

से अधिक सहनशील है, जबकि पाले का प्रभाव इस पर अधिक होता है।

मृदा : जौ के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन भारत में जौ की खेती अधिकतर रेतीली भूमि में की जाती है। जौ और गेहूं को प्रायः एक ही मौसम में उगाया जाता है। इसलिए जौ को

दशाओं में जौ ही एकमात्र ऐसी फसल है, जिसे रबी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

फसल–चक्र : जौ के लिए वे सभी फसल–चक्र ठीक रहते हैं, जो गेहूं के लिए उपयुक्त होते हैं। साधारणतया खरीफ की सभी फसलों, जैसे मूंगफली, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा उड़द

जौ की उपयुक्त किस्में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए

जलवायु	किस्में	मुख्य लक्षण
पहाड़ी क्षेत्र	बी.एस.एच. 46	रोली के प्रति प्रतिरोधक क्षमता
	डोलमा	छिलका रहित किस्म
	हीमानी	पीली रोली के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता
उत्तरी–पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	बी.जी. 105	पीली रोली, कुंडू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता
	बी.जी. 25	प्रतिरोधक क्षमता पीली रोली के प्रति
	क्लीपर	शराब व बीयर बनाने के लिए उपयुक्त
	डी.एल. 36	पछेती और समय पर बुआई दोनों के लिए उपयुक्त
	डी.एल. 70	पछेती बुआई के लिए उपयुक्त
	के. 18 ज्योति	छिलका रहित किस्म लवणीय मृदा के लिए
उत्तरी–पूर्वी मैदानी क्षेत्र	अंबर	शराब बनाने के काम में आती है।
	आजाद	हरे चारे के लिए उपयुक्त
	के. 169	शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
	के. 252	मैदानी क्षेत्रों के लिए व डेल्टा क्षेत्रों के लिए
	रतना	लवणीय व क्षारीय भूमि के लिए
मध्यवर्ती क्षेत्र	बीलारा	लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त
	राजकिरण	मोल्या के प्रति प्रतिरोधक क्षमता
	आर.डी. 117	पछेती बुआई के लिए उपयुक्त
	आर.डी.बी. 1	मोल्या रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता
	आर.एस. 6	मांलटीग के लिए उपयुक्त
	विजय	लवणीय व क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त

आदि के बाद जौ की फसल ली जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में, जहां भूमि अधिक रेतीली होती है; कभी–कभी केवल जौ की ही फसल लेते हैं। लेकिन अब सघन खेती के इस युग में प्रायः सभी किसान खरीफ में कोई दूसरी फसल उगाते हैं। जौ की मिलवां खेती यूं तो रबी की लगभग सभी फसलों के साथ की जाती है, लेकिन इनमें से गेहूं, चना व मटर मुख्य हैं। कभी–कभी सरसों या तारामीरा भी जौ के साथ मिलाकर बोया जाता है। असिंचित क्षेत्रों में जौ प्रायः चना या मटर के साथ मिलाकर बोया जाता है।

उन्नत किस्में : विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग–अलग किस्में उत्तम पाई गई हैं। भारत में जौ बोने वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से चार भागों मे बांटा गया है और अलग–अलग क्षेत्र के लिए अनेक किस्में खोजी गई हैं, जो उसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं।

खेत की तैयारी : साधारणतया जौ के लिए भूमि की उतनी तैयारी नहीं की जाती, जितनी कि गेहूं के लिए की जाती है। इसके मुख्य दो कारण हैः पहला, कृषक जौ को गेहूं की अपेक्षा कम महत्व देता है और दूसरा, जौ अधिकतर रेतीली भूमि में उगाया जाता है, जिसमें खरपतवार कम उगते हैं। खेत तैयार करने के लिए खरीफ की फसल काटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करनी चाहिए। इसके बाद, यदि सम्भव हो तो पलेवा किया जाता है। फिर तीन–चार बार देशी हल से जुताई की जाती है। प्रत्येक जुताई या हैरो के बाद पटेला चलाना आवश्यक है जिससे ढेले टूट जाते हैं, और भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहती है।

बुआई : जौ की बुआई का समय खरीफ की फसल की कटाई पर निर्भर करता है, लेकिन जहां पर जौ से पहले खरीफ की फसल नहीं ली जाती या कोई जल्दी पकने वाली फसल ली जाती है, वहां जौ की फसल अक्टूबर के अन्त या नवम्बर के प्रारम्भ में बोई जाती है। देर से बोने पर गेहूं की अपेक्षा जौ में उपज की अधिक हानि होती है। अतः नवम्बर के बाद बोने पर जौ की उपज क्रमशः घटती ही जाती है। जौ की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर है, उसमें सबसे ज्यादा उपज प्राप्त की गई है। जौ को हल के पीछे कूंड़ में या ड्रिल से बोने पर लगभग 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है परन्तु छिटकवां बोआई में प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। डिबलर से बोने पर 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काफी होता है। बीज की मात्रा पर हुए एक परीक्षण ा के अनुसार बीज की मात्रा बीज के आकार पर भी निर्भर करती है।

बोने की विधियां : छिटकवां विधि उन्नत तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसमें बीज अधिक लगता है और इसकी दूसरी विधि सीडड्रिल द्वारा की जाती है इसमें बैलों या ट्रैक्टर द्वारा चलने वाली एक मशीन है जिसका बड़े फार्मों पर अधिक प्रयोग होता है। यह बोने का सर्वोत्तम ढंग है लेकिन सामान्य किसान इसे खरीद नहीं पाता। जौ की बुआई डिबलर से भी कर सकते हैं। इसमें बीज तो कम लगता है पर श्रम बहुत अधिक लगता है। जिसमें नीचे की तरफ लगभग 7–5–10 से.मी. लम्बी खुटियां होती है। जब इसे भूमि में रखकर दबाते हैं तो भूमि में समान दूरी पर छेद हो जाते हैं और इनमें बीज डाल दिया जाता है। जौ की बुआई के लिए 5–7.5 से.मी. की गहराई उपयुक्त होती है। लेकिन बोने की गहराई पर भूमि में उपलब्ध नमी की मात्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि में नमी की मात्रा काफी है तो बीज को 5 से.मी. की गहराई पर पड़ना चाहिए। परन्तु नमी की मात्रा कम होने पर बीज को 7.5 से.मी. की गहराई पर डालना चाहिए। दूसरी और अधिक उथला बोने पर बीज सूखे क्षेत्र में आ जाता है और जम नहीं पाता। अतः बीज का नम मिट्टी में गिरना आवश्यक है। यह गहराई 5–7.5 से.मी. तक हो सकती है।

खाद एवं उर्वरक : जौ की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरिक अम्ल और

20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटश वही पर देना लाभप्रद रहता है, जहां भूमि में इनकी कमी हो। अतः इन्हें सदा मिट्टी की जांच कराने के बाद ही, आवश्यकतानुसार डालना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा असिंचित दशाओं में उर्वरकों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्रों में लगभग 50 किलोग्राम नाइट्रोजन काफी होती है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन देने पर भी वृद्धि होती है। अतः सिंचित क्षेत्रों में 60 किलोग्राम और असिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देना होता है। कमी होने पर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक फॉस्फोरस देना चाहिए। पोटाश की कमी होने पर उसे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अधिकतर मृदाओं में अभी तक पोटाश की कमी नहीं देखी गई है, जौ के खेत में नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा शेष आधी पहली या दूसरी सिंचाई के समय देनी चाहिए। लेकिन असिंचित क्षेत्रों में पूरी की पूरी मात्रा बोते समय ही डाल देनी चाहिए। यदि संभव हो तो कुछ मात्रा घोल बनाकर छिड़काव से भी दी जा सकती है। फॉस्फोरस की पूरी मात्रा बोते समय सुपर फास्फेट या डाइएमोनियम फोंस्फेट में दी जानी चाहिए। यदि देना हो तो, उसे भी फॉस्फोरस के साथ मिलाकर तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट के रूप में देना चाहिए।

सिंचाई : जौ की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। जौ के लिए 2.3 सिंचाइयां काफी होती है। पहली सिंचाई बोने के एक माह बाद और दूसरी वाली सिंचाईं दूध पड़ते समय देनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन दो सिंचाइयों के बीच में एक और सिंचाई कर देनी चाहिए। दूध पड़ते समय सिंचाई शान्त मौसम में एवं हल्की करनी चाहिए, क्योंकि इस समय फसल के गिरने का भय रहता है। प्रत्येक सिंचाई में लगभग 5.7.5 से.मी. पानी देना चाहिए। सिंचाई के साथ–साथ जौ में जल–निकास का भी उचित प्रबन्ध आवश्यक है क्योंकि खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहने से फसल को नुकसान होता है। असिंचित क्षेत्रों में यह आवश्यक है कि मेड़ बन्दी कर दी जाए, जिससे वर्षा का पानी खेत में रुक सके। लेकिन यदि पानी किसी एक कोने में अधिक भर जाए, तो उसे निकाल देना चाहिए। ढालू खेतों को छोटी–छोटी क्यारियों में बांट देना चाहिए जिसमें पानी एक जगह इकट्ठा न हो सके।

खरपतवार प्रबन्धन : साधारणतया जौ में निराई नहीं की जाती, लेकिन यदि खरपतवार अधिक हो तो एक निराई की आवश्यकता होती है। यदि खरपतवारों की रोकथाम रासायनिक विधि से करनी हो तो गेहूं की तरह जौ में भी 2,4–डी का छिड़काव किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी रूप में 2,4–डी को लेकर एक किलोग्राम अम्ल तुलांक प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। एक हेक्टेयर के लिए 600 लीटर पानी का घोल बनाना चाहिए और फसल बोने के 30–35 दिन बाद छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा करने से बलुआ आदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।

कीट प्रबन्धन : जौ मुख्यतः दीमक का माहू का प्रकोप होता है। तो इनके प्रबन्धन के लिए गहरी जुताई एवं रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। दीमक के प्रबन्धन के लिए क्लोरपाइरी फोंस 20 ई. सी. 500 एम.एल. प्रति 100 किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें एवं खड़ी फसल में सिंचाई के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। माहू के प्रबन्धन के लिए मोनोक्रोटोफोंस 50 ई.सी. 0.05 प्रतिशत की दर से छिड़काव करें।

रोग प्रबन्धन : जौ के मुख्य रोगों में आवृतकड़ और काडमा (रोली) को शामिल किया गया है। इनके उपचार के लिए बाविस्टीन व थाइरम फफुंदीनाशक 2 ग्राम/किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें।

कटाई और गहाई : जौ की फसल गेहूं की फसल की अपेक्षा जल्दी पकती है और मार्च के अन्तिम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। आम किसान इस फसल को दरांती से काटता है। जौ की कटाई बड़े फार्मों पर मशीनों द्वारा भी की जाती है। इसको काटने के बाद गट्ठर बनाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। खेत में जौ की कटी हुई फसल को 4–5 दिन तक सूर्य की रोशनी में सूखने दिया जाता है, और इसके दानों में नमी 20–25 प्रतिशत रह जाती है। इसको ज्यादा देर करने पर आग, चूहों आदि का भय रहता है। गहाई अधिकतर दाय चलाकर की जाती है, लेकिन अब कुछ उन्नतशील किसान थ्रेशर का प्रयोग भी करने लगे हैं। गहाई के तुरन्त बाद ओसाई कर लेनी चाहिए। ओसाई में देर करने पर आंधी–तूफान में फसल उड़ने का डर रहता है। किसान अभी तक ओसाई के लिए हवा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब कुछ मशीनें इस प्रकार की आ रही हैं कि गहाई और ओसाई एक ही समय पर साथ–साथ पूरी हो जाती है।

उपज और भंडारण : जौ की फसल गेहूं की पुरानी किस्मों से अधिक उपज देने की क्षमता रखती है। जौ की अच्छी फसल 30–35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है, यद्यपि इसकी औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जौ में भूसा दाने के बराबर ही निकलता है। जौ के भंडार के समय इसके दानों में नमी का अंश 12–13 प्रतिशत रहना चाहिए। भंडारगृह सूखा तथा ठंडा होना चाहिए, ताकि बीज की जीवन क्षमता लम्बी अवधि तक बनी रहे और इसके बीजों को अगली फसल के रूप में भी काम में लिया जा सके।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।)

ई–मेल : ysshiray@iari.res.ins

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

तुलसी आस्था से आरोग्य तक

डॉ. जी.के. सिंह एवं दीपांकर शर्मा

आयुर्वेद में कहा गया है "जीवेद् शरदः शतम्" अर्थात् व्यक्ति सौ वर्षों तक जिए और जीवन का भरपूर आनंद ले। वस्तुतः यह अभिलाषा सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को होती है कि उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति हो लेकिन दीर्घ आयु की प्राप्ति और जीवन के आनंद दोनों का ही संबंध आरोग्यता से है। रोगग्रस्त व्यक्ति जहां लंबी आयु पर संशकित रहता है वही जीवन के वास्तविक आनंद से भी कोसों दूर रहता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति स्वस्थ शरीर द्वारा ही संभव है। कहा भी गया है "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है"। प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान आधुनिक समय तक व्यक्ति की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान रहा है और इसी कारण वह नित नए प्रयोगों और प्रयत्नों में व्यस्त रहता है। जिस कार्य को वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा रहा है, ताकि व्यक्ति निरोग रहते हुए एक स्वस्थ जीवन जिए, उसी कार्य को हमारे ऋषिगणों ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कितने ही व्यावहारिक प्रयोगों और अनुसंधानों के पश्चात मानव के लिए उपयोगी औषधियों एवं जड़ी–बूटियों को व्यक्ति की जीवन शैली का एक अंग बनाकर किया। ऐसे कार्यों को धर्म के माध्यम से परंपरा एवं उत्सवों से जोड़ उन्होंने एक व्यावहारिक दृष्टि का परिचय देते हुए आरोग्य को जन–जन तक पहुंचाया जिनकी वर्तमान समय में निरंतरता उनकी प्रासंगिकता की द्योतक है।

धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पौधे को पवित्रतम माना गया है और इसी कारण सभी धार्मिक क्रियाकलापों में तुलसी का उपयोग किया जाता है। घर में तुलसी की उपस्थिति को शुभ माना जाता है और अनिवार्य रूप से तुलसी की स्थापना की जाती है। रोग प्रतिरोधकता के अतिरिक्त तुलसी का पौधा प्रदूषण मापक और प्रदूषण नियंत्रक का कार्य भी करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी स्थान विशेष में तुलसी का पौधा पनप नहीं पाता, तब वह स्थान अवश्य ही दूषित है। अतः तुलसी के पौधे की वृद्धि एवं विकास उस स्थान विशेष के वातावरण के शुद्ध होने का संकेत भी देती है। तुलसी विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं उपचार में दिव्य औषधि का काम करती है। तुलसी का पौधा मात्र धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक कारणों से भी विशेष महत्व रखता है।

ऐसे ही कुछ पर्वों एवं उत्सवों में प्रमुख है– तुलसी विवाह! कार्तिक मास या नवंबर में मनाया जाने वाला यह पर्व

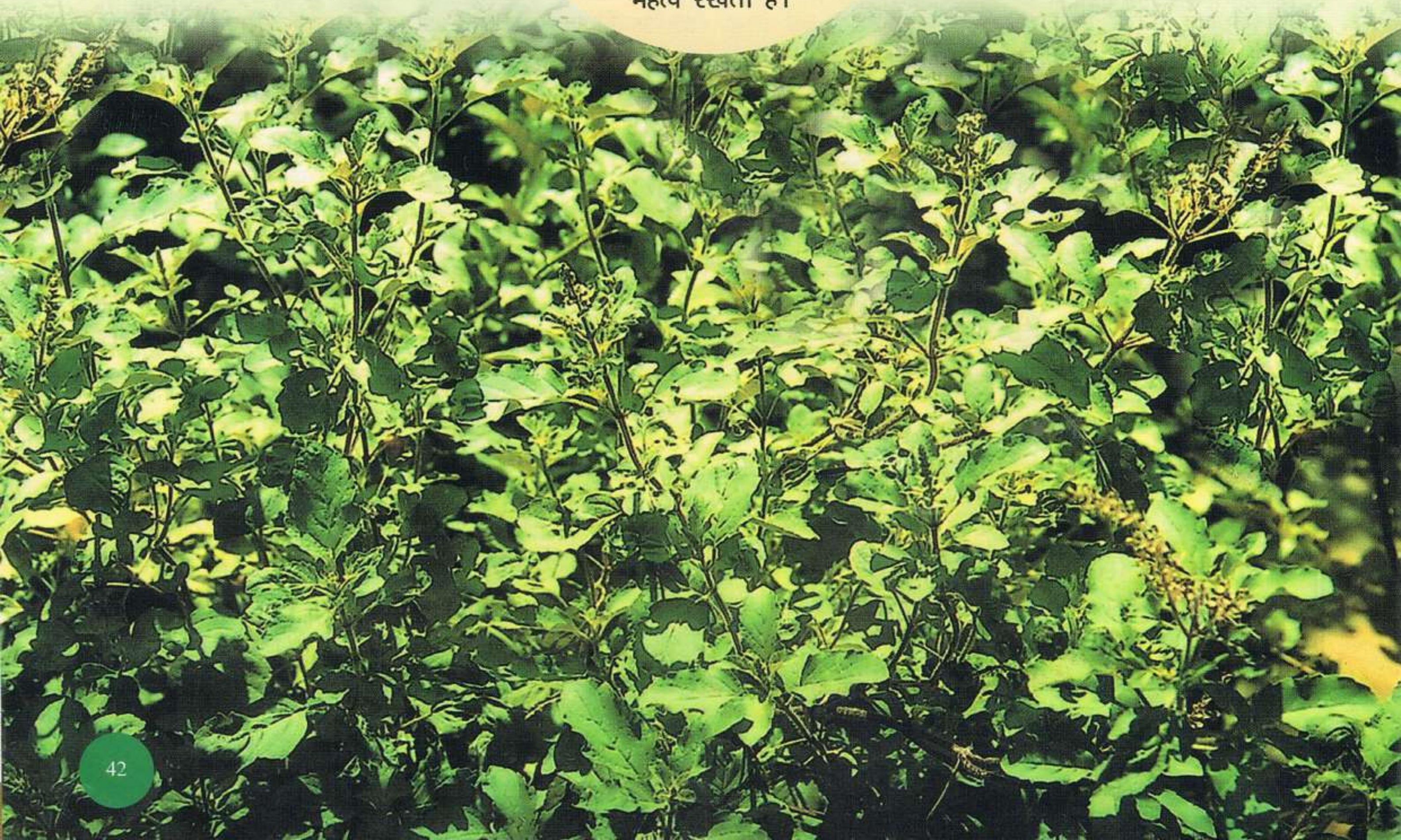

विशेष धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व का है जो हमें तुलसी के सेवन और रोपण हेतु प्रेरित करता है। तुलसी विवाह का प्राचीनतम उल्लेख हमें पद्म पुराण में मिलता है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पौधे को पवित्रतम माना गया है और इसी कारण सभी धार्मिक क्रियाकलापों में तुलसी का उपयोग किया जाता है। घर में तुलसी की उपस्थिति को शुभ माना जाता है और अनिवार्य रूप से तुलसी की स्थापना की जाती है। पद्म पुराण में ऐसे स्थान को जहां तुलसी की उपस्थिति है, तीर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है और वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है।

तुलसी का यह महत्व अकारण नहीं है। वस्तुतः तुलसी में अनेक औषधीय गुण पाये जाते हैं इसीलिए दैनिक उपयोग के लिए तुलसी को अथर्ववेद में महाऔषधि कहा गया है। तुलसी का वानस्पतिक नाम है "ऑसिमम् सैक्टम्"। तुलसी विश्व की विभिन्न जलवायु में पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर इसके नाम भी भिन्न–भिन्न हैं। तुलसी का नियमित सेवन शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दरअसल तुलसी का रासायनिक संगठन ही कुछ ऐसा है जिसमें ऐसे तत्वों का समावेश अधिक है जो रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि करते हैं। तुलसी पत्रों में सामान्यतः 0.1–0.3 प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है जिसमें लगभग 71 प्रतिशत यूजीनॉल, 20 प्रतिशत यूजीनॉल मिथाईन ईथर तथा 3 प्रतिशत काविकोल उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 प्रतिशत विटामिन सी और कुछ मात्रा में कैरोटिन भी पाया जाता है। तुलसी में कुछ जैव रसायनों की उपस्थिति भी विशेष महत्व की है जिनमें प्रमुख हैं – ट्रेनिन, सैवेनिन, ग्लाइकोलाइड्स, एल्कोलाइड्स आदि। तुलसी पत्रों में हरे–पीले रंग का लगभग 17.8 प्रतिशत तेल पाया जाता है जिसमें सीटोस्टोराल तथा वसा अम्ल के रूप में पामिटिक, औलिक तथा लिनोलैनिक अम्ल उपस्थित होते हैं।

तुलसी में पाया जाने वाला यह ईथर टी.बी. या दमा जैसी बीमारी के कारक जीवाणु माइक्रो बैक्ट्रियम टयूबरो क्लोसिस का बढ़ना रोकता है जिससे टी.बी. या दमा के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चरक संहिता में तो तुलसी को दमा की प्रमुख औषधि कहा गया है। रोग प्रतिरोधकता के अतिरिक्त तुलसी पौधा प्रदूषण मापक और प्रदूषण नियंत्रक का कार्य भी करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी स्थान विशेष में तुलसी का पौधा पनप नहीं पाता, तब वह स्थान अवश्य ही दूषित है। अतः तुलसी के पौधे की वृद्धि एवं विकास उस स्थान विशेष के वातावरण के शुद्ध होने का संकेत भी देती है। दूसरी ओर तुलसी का पौधा पर्यावरणीय संतुलनकर्ता की भूमिका भी निभाता है। तुलसी के इसी गुण के कारण हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताजमहल के आसपास लगभग 10 लाख तुलसी पौधों को लगाने का निर्णय किया है।

तुलसी विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं उपचार में दिव्य औषधि का काम करती है। तुलसी रस में प्रोटोजोआ परजीवी और मच्छर को नष्ट करने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है जो मलेरिया जैसी तीव्रता से फैलने वाली बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। मलेरिया हो जाने पर लगभग 50 ग्राम तुलसी के पत्ते तथा 25 ग्राम काली मिर्च को साथ में पीसकर उसकी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें छाया में सुखा लें तथा दो–दो गोलियां तीन–तीन घंटे के अंतराल में जल के साथ सेवन करने से रोगी को लाभ होता है। तुलसी का पौधा जिस स्थान पर उपस्थित होता है वहां की वायु में मच्छरों की उपस्थिति में असाधारण रूप से कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा प्राचीन समय से ही तुलसी का प्रयोग विषमारक के रूप में किया जाता रहा है जैसाकि चरक संहिता में भी उल्लिखित है। तुलसी पत्रों तथा जड़ का रस पीने तथा पत्ते को चबाने से किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव तीव्रता से कम होने लगता है। सर्पदंश के स्थान पर तुलसी को मक्खन के साथ पीसकर उस लेप को लगाने से रोगी को तत्काल राहत मिलती है।

व्यस्त जीवनशैली और शारीरिक श्रम के अभाव ने हमारे शरीर को रोगों का घर बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों में गुप्त रोग संबंधी समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक देखने में आई हैं। तुलसी के विधिवत् प्रयोग द्वारा शारीरिक दुर्बलता, प्रजनन क्षमता में कमी और स्तंभन की समस्या आदि में आश्चर्यजनक एवं सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। तुलसी की जड़ को बारीक पीसकर उसे पान में सुपारी के स्थान पर प्रयोग करते हुए पान खाया जाए तो जहां स्तंभन शक्ति में वृद्धि होती है वहीं वीर्य भी पुष्ट होता है। इसके अतिरिक्त तुलसी के बीज एवं जड़ के चूर्ण

को पुराने गुड़ के साथ मिलाकर लगभग 5 ग्राम प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है।

उदर रोगों में तुलसी रामबाण का काम करती है। किसी प्रकार की पेचिश या दस्त में तुलसी के सूखे पत्ते का एक ग्राम चूर्ण 3 ग्राम ईसबगोल के साथ लेने से पेचिश में लाभ होता है। इसके अलावा दस्तों में तुलसी पत्ते, सौंठ तथा गुड़ की समान मात्रा में गोलियां बनाकर उसके सेवन के सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। वर्तमान समय में कब्ज एक सामान्य–सा रोग है जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रभाव में रखता है लेकिन यह सामान्य दिखने वाला रोग बहुत–सी असामान्य बीमारियों को बुलावा देते हैं। तुलसी के प्रयोग से पुराने से पुरानी कब्ज से भी राहत पाई जा सकती है। यदि तुलसी के बीज, लौंग और बड़ी इलायची के दानों को समान मात्रा में पीसकर उसके चूर्ण का सेवन किया जाए तो रोगी को कब्ज से छुटकारा मिलता है और उसकी भूख खुलती है। शहरों में रहने वाले लोगों में एसिडिटी की समस्या सामान्य रूप से पाई जाती है। यदि सुबह खाली पेट पांच तुलसी के पत्ते चबाकर ऊपर से ताजा पानी पीया जाए तो दिनभर एसिडिटी से राहत रहती है।

तुलसी विवाह को नवंबर माह में मनाया जाता है। वस्तुतः यह समय शीत ऋतु के प्रारंभ का है जिसमें विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इस समय सामान्यतः वात, कफ, शीत, मस्तकशूल, पीनस आदि रोगों का फैलाव सामान्य रूप से अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस मौसम में कफ की अधिकता तथा खांसी की समस्या सामान्य रूप से देखी जा सकती है। तुलसी के पत्तों के रस में शहद और अदरक का रस मिलाकर इस मिश्रण का निश्चित समयांतराल से सेवन करने से किसी भी प्रकार की खांसी में लाभ होता है।

खांसी में ली जाने वाली आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों में हम सामान्यतः तुलसी को प्रमुख घटक के रूप में देख सकते हैं। जब–जब ऋतु परिवर्तन होता है तब–तब साइनोसाइटिस तथा मस्तकशूल की समस्या बढ़ने लगती है। भारत में ऐसे रोगियों की बड़ी संख्या है। इन रोगों में तुलसी का प्रयोग बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। यदि तुलसी पत्तों का रस पीली कंटीली के रस में 1:3 के अनुपात में मिलाकर इस तरल को दिन में दो–तीन बार दो–दो बूंद नाक में डाला जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। इस ऋतु में तुलसी विवाह का पर्व हमें तुलसी के सेवन के लिए प्रेरित करता है क्योंकि इन सभी रोगों में तुलसी विशेष औषधि का कार्य करती है। सूंधने की शक्ति में ह्रास होने अथवा नाक बंद होने की स्थिति में तुलसी के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। नाक में किसी भी प्रकार की फुंसी होने पर तुलसी के पत्तों को महीन पीसकर उसे सूंघने से लाभ मिलता है। मधुमेह रोग के उपचार में तुलसी के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। विश्व के साथ–साथ भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या निरंतर और तीव्रता के साथ बढ़ रही है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि तुलसी के नियमित सेवन से इंसुलिन स्रावण ा की मात्रा को नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है और मधुमेह जैसे घातक रोगों को रोका जाना संभव है। तुलसी पत्र, करी पत्ता, तथा महुआ के पत्तों को समान मात्रा में कूटकर उनका पेस्ट बनाकर उसे प्रातः लगभग पांच ग्राम चटनी की तरह चाटने से मधुमेह में लाभ होता है।

बढ़ते शहरीकरण और उससे उत्पन्न प्रदूषण ने लोगों की आंखों पर भी दुष्प्रभाव डाला है। बच्चों की आंखों पर मोटे–मोटे चश्में इस दुष्प्रभाव का परिणाम है। आंखों के रोगों में तुलसी के विशेष लाभ देखे गए हैं। आंखों में जलन, आंखों में रौहे, पानी का आना इत्यादि में तुलसी के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तुलसी पत्तों के रस में 1:4 के अनुपात में गुलाब जल तथा कुछ मात्रा में शहद मिलाकर एक उपयोगी 'आईड्राप' तैयार किया जा सकता है जिसे नियमित आंखों में डालने से आंखों की जलन कम होती है और नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। यदि आंखों में रौहे (ट्रैकोम) या सूजन आ गई है तो ऐसी स्थिति में तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ी–सी बारीक पिसी हुई

फिटकरी मिला दें। इस मिश्रण से रूई द्वारा आंखों की सफाई करने से निश्चित लाभ होता है।

खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है लेकिन चेहरे के दाग–धब्बे इस इच्छा में बाधा डालते हैं। तुलसी का सेवन इस समस्या से भी छुटकारा दिलाता है क्योंकि तुलसी रक्त शोधक का कार्य भी करती है। नियमित रूप से तुलसी का प्रयोग चेहरे पर निकलने वाले कील–मुहांसे की रोकथाम करता है। 6–7 तुलसी पत्तों को एक जायफल के साथ पत्थर (सिल) पर घिस लें तथा उसमें थोड़ा–सा चंदन पाउडर और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से झाइयां तथा मुहांसों में कमी आती है।

तुलसी के औषधीय गुण यहीं तक सीमित नहीं हैं अपितु लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों में भी तुलसी के सेवन से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कासमास कैंसर इंस्टीट्यूट, डेटराइट मिशिगन की मार्च 2007 की एक रिपोर्ट यह सिद्ध करती है कि स्तन कैंसर हेतु उत्तरदायी अनियंत्रित कोशिका विभाजन को तुलसी के सेवन से नियंत्रित किया जा सकता है। तुलसी इस कोशिका विभाजन को नियमित कर रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। हाल ही में भारत और लगभग समस्त विश्व में अपना प्रकोप दिखाने वाले रोग स्वाइन फ्लू के एच–1, एन–1 विषाणु के संदर्भ में भी तुलसी के विशेष प्रभाव देखे गए हैं। गिलोय के साथ तुलसी के रस का सेवन करने से फ्लू से बचाव के असाधारण परिणाम सामने आए हैं।

उपरोक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि तुलसी का पौधा मात्र धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक कारणों से भी विशेष महत्व रखता है। तुलसी के जो गुण हम आज जान रहे हैं, हमारे ऋषियों को वे हजारों वर्ष पूर्व ज्ञात थे। तभी उन्होंने तुलसी को हमारे जीवन में इस रूप में स्थापित किया ताकि हम इसके उपयोग से आरोग्य प्राप्त कर सकें। अब यह हम सभी का उत्तरदायित्व है कि अपनी परंपराओं को रूढ़ियां न मानकर उनकी वैज्ञानिकता की खोज करें और ऐसी परंपराओं और उत्सवों को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह प्रतीकात्मक रूप से हमें तुलसी के उपयोग सेवन तथा वंशवृद्धि अर्थात् रोपण हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करता है ताकि हमारे घरों में आरोग्य का वास हो न कि रोगों का और एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सके।

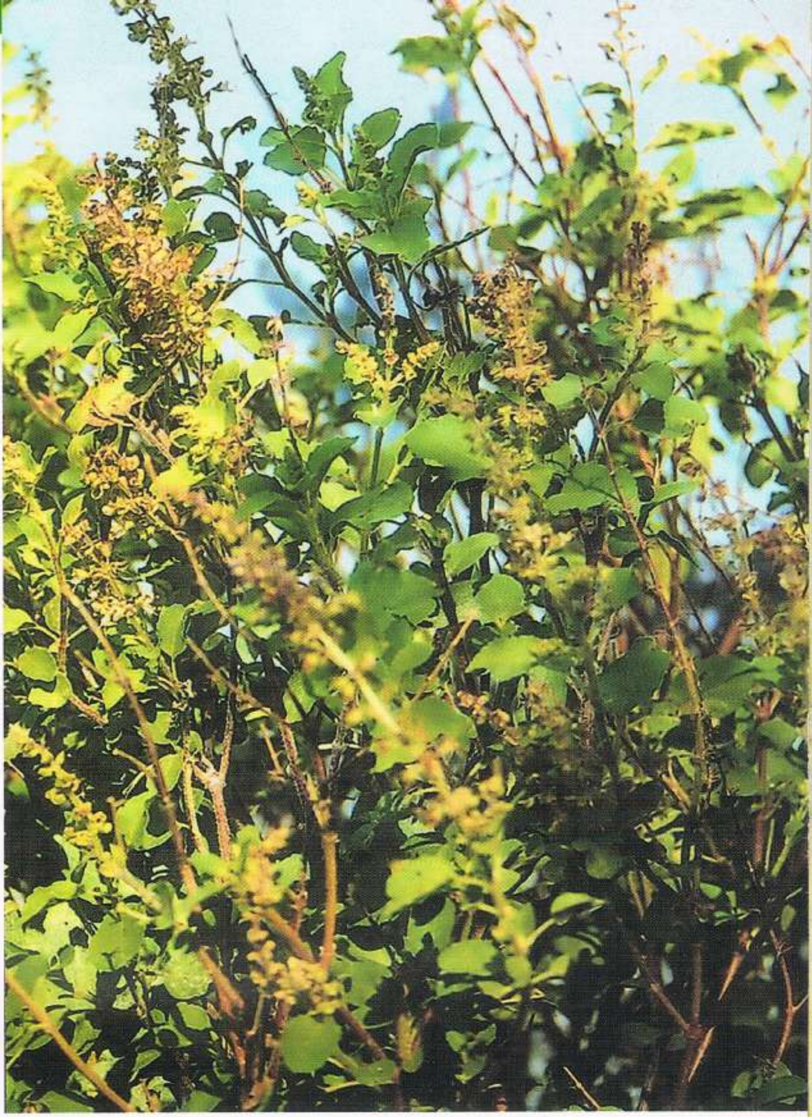

(लेखक ए.एस.(पी.जी.) कालेज लखावटी, बुलंदशहर में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।)

ई–मेल : deepankar.sharma15@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

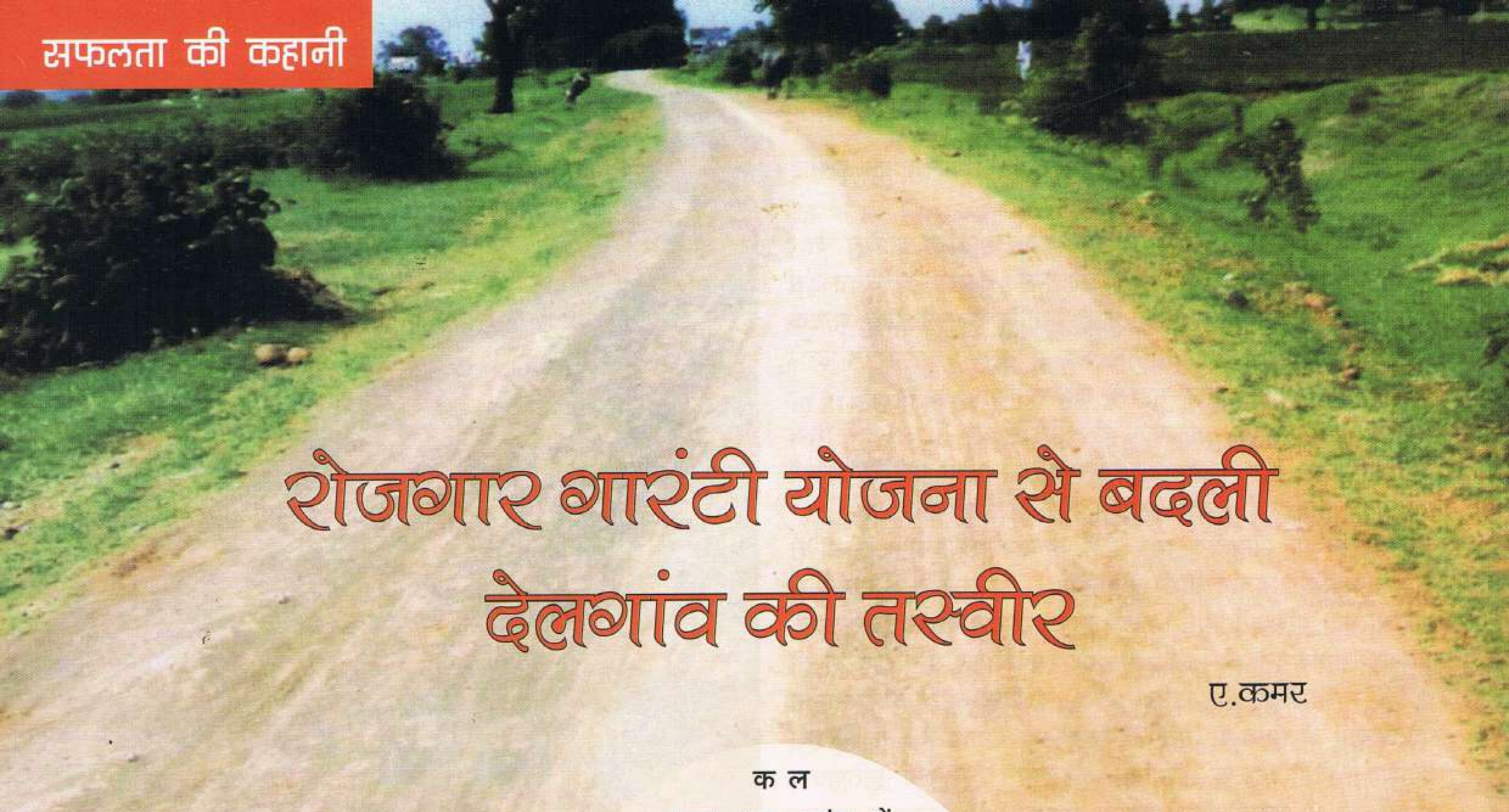

रोजगार गारंटी योजना से बदली देलगांव की तस्वीर

ए.कमर

खण्डवा जिला मुख्यालय से कोई 40 किमी. दूर स्थित ग्राम देलगांव के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब उनमें आत्मविश्वास और उत्साह साफ–साफ परिलक्षित होने लगा है। बरसों से अपनी पुश्तैनी खेती केवल वर्षा पर निर्भर होकर करते हुए वे निराश हो चले थे। जहां उनकी मेहनत बेकार चली जाती, वही सारी आशाएं धूमिल हो जाती और वे अन्यत्र मेहनत–मजदूरी के लिए जाने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन कोई 36 माह पूर्व रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के बाद से ग्राम देलगांव में विकास का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी थमा नहीं है। इसके नतीजों ने जहां गांव की तस्वीर बदली वहीं ग्रामवासियों की तकदीर भी बदलने लगी है। और ग्रामीण परिवेश की बेरंग तस्वीर में खुशियों के रंग उभरने लगे हैं।

कल तक इस गांव में सूखी वीरान पहाड़ियां, बंजर जमीन, धूल उड़ाती, उबड़–खाबड़, पगडंडियां, और हतोत्साहित ग्रामवासियों के मुर्झाए चेहरे नजर आते थे। वही आज वीरान सूखी पड़ी पहाड़ियां हरियाली से आच्छादित हैं। सिंचाई साधनों की उपलब्धता से खेतों में खड़ी फसलें हिलोरे ले रही हैं। विकास का मार्ग प्रशस्त करती बढ़िया सड़कें हैं। घर–घर बने शौचालय ग्रामीण परिवेश में समग्र स्वच्छता के साथ आत्मगौरव का संचार करते हैं। अब यहां शुद्ध निर्मल नीर है तो स्वच्छ हवा का झोंका देता वृहद् वृक्षारोपण। अब ग्रामवासी दूने उत्साह से अपनी पुश्तैनी खेती करने में जुटे हैं, वही बेरोजगारी और पलायन की समस्या से भी उन्हें निजात मिल गई है।

कल तक इस गांव में सूखी वीरान पहाड़ियां, बंजर जमीन, धूल उड़ाती, उबड़–खाबड़, पगडंडियां, और हतोत्साहित ग्रामवासियों के मुर्झाए चेहरे नजर आते थे। वही आज वीरान सूखी पड़ी पहाड़ियां हरियाली से आच्छादित हैं। सिंचाई साधनों की उपलब्धता से खेतों मे खड़ी फसलें हिलोरे ले रही हैं। विकास का मार्ग प्रशस्त करती बढ़िया सड़कें हैं। घर–घर बने शौचालय ग्रामीण परिवेश को समग्र स्वच्छता के साथ आत्मगौरव का संचार करते हैं। अब यहां शुद्ध निर्मल नीर है तो स्वच्छ हवा का झोंका देता वृहद् वृक्षारोपण। अब ग्रामवासी दूने उत्साह से अपनी पुश्तैनी खेती करने में जुटे हैं, वही बेरोजगारी और पलायन की समस्या से भी उन्हें निजात मिल गई है।

जिले के छैगांव माखन जनपद की ग्राम पंचायत देलगांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का औचित्य और पूर्णरूपेण परिपालन दिखाई देता है जहां 200 परिवारों की कुल जनसंख्या में सभी जॉब कार्डधारी होने के साथ 120

परिवारों को पूरे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। यहां एक ओर सिंचाई संरचनाओं से 188 एकड़ जमीन तृप्त हो रही है तो दूसरी तरफ़ शुद्ध पेयजल व्यवस्था के पुख्ता इन्तजाम किए गए हैं। वीरान पड़ी पहाड़ी को हरा–भरा कर पुलकित किया जा चुका है, और एक महिला स्वसहायता समूह का गठन कर उसमें सब्जी उत्पादन कराया जा रहा है, जिसका उपयोग विद्यालयों में होने वाले मध्याह्न भोजन में किया जाता है।

शैल पर्ण उपयोजना के तहत देलगांव की सूखी पड़ी पहाडियों को हरा–भरा कर पर्यावरण सुधार का कार्य किया गया। पहाड़ियों पर 600 वृक्ष रोपे गए एवं फलदार पौधों और सब्जियों की देखरेख का जिम्मा गांव की महिलाओं के 3 स्वसहायता समूहों को सौंपा गया। यह 10–10 महिलाओं वाले स्वसहायता समूह इन वृक्षों की देखरेख, एवं उनके फलों के विक्रय की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। साथ ही सरदार समूह की महिलाओं को सब्जी की पैदावार की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह सब्जी गांव में संचालित दो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न भोजन हेतु उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार गांव के कृषक जो अपनी जमीन बंजर जैसी होने के कारण मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते थे, कपिल धारा उपयोजना के तहत उनके खेतों में कुओं का निर्माण कर उनकी जमीन को सिंचित बनाया गया है। आज ये लोग खरीफ और रबी दोनों मौसमों की भरपूर फसल लेते हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। इस उपयोजना में 7 कुओं का निर्माण कर 15 हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई जिससे 7 परिवारों के 35 से भी अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार परिलक्षित होने लगा है। वे कृषक जिनकी भूमि कृषि योग्य नहीं थी और वे मजदूरी करके जीवनयापन करते थे, अब अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करने लगे है। फसल की पैदावार एक चक्र से बढ़कर तीन चक्र हो गई है।

सुगम आवागमन के लिए दो ग्रेवल मार्ग ग्राम पंचायत में बनाए गए जिनमें प्रथम देलगांव से छपरा मार्ग बनाया गया जो

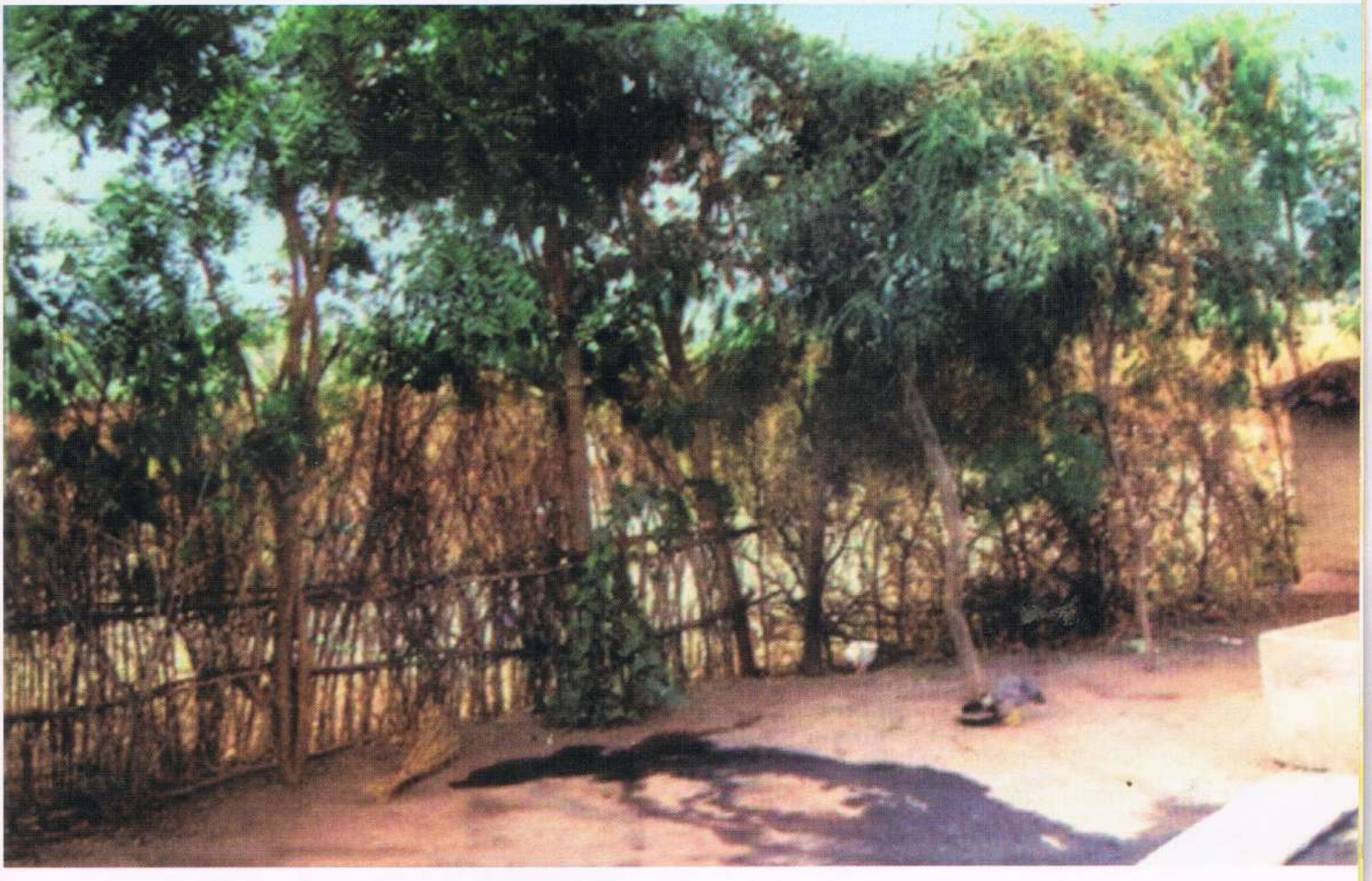

देलगांव से छपरा होते हुए खरगोन जिले के गांव को जोड़ता है। दूसरा मार्ग देलगांव से जिरवट तक बनाया गया जिससे ग्राम का संपर्क छपरा, धनगांव व खरगोन जिले के अन्य दो गांवों से जुड़ गया है। इन मार्गों के बनने से न केवल ग्रामीणों को सुगम यातायात की सुविधा मिली है, बल्कि उनके व्यापार में भी फायदा हुआ है।

इसके अलावा गांव में 200 निर्मल वाटिका का निर्माण किया गया तथा लोगों के व्यवहार में तब्दीली लाकर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण कराकर उनके आसपास पौधों का रोपण कर गांव में हरियाली लाई गई।

इसी प्रकार आवागमन एवं सिंचाई सुविधा का दोहरा लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से गांव में 25 लाख रुपये की लागत से एक स्टाप डेम कम काजवे का निर्माण भी कराया गया, जिससे कोई 150 एकड़ भूमि में कृषकों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। इससे खरीफ एवं रबी दोनों फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है।

इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी एवं सतत् क्रियान्वयन से ग्रामवासियों का सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

(लेखक खंडवा, मध्य प्रदेश से सम्बद्ध पत्रकार हैं।)

हमारे आगामी अंक

जनवरी, 2010 – बदलते गांव उभरता देश (गणतंत्र दिवस के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेषांक)
फरवरी, 2010 – ग्रामीण स्वास्थ्य
मार्च, 2010 – कृषि और जलवायु परिवर्तन
अप्रैल, 2010 – बजट 2010–11

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

तेरह भारतीय भाषाओं में हमारी पुस्तकें

क्षेत्रीय सुगंध से महकता गुलदस्ता

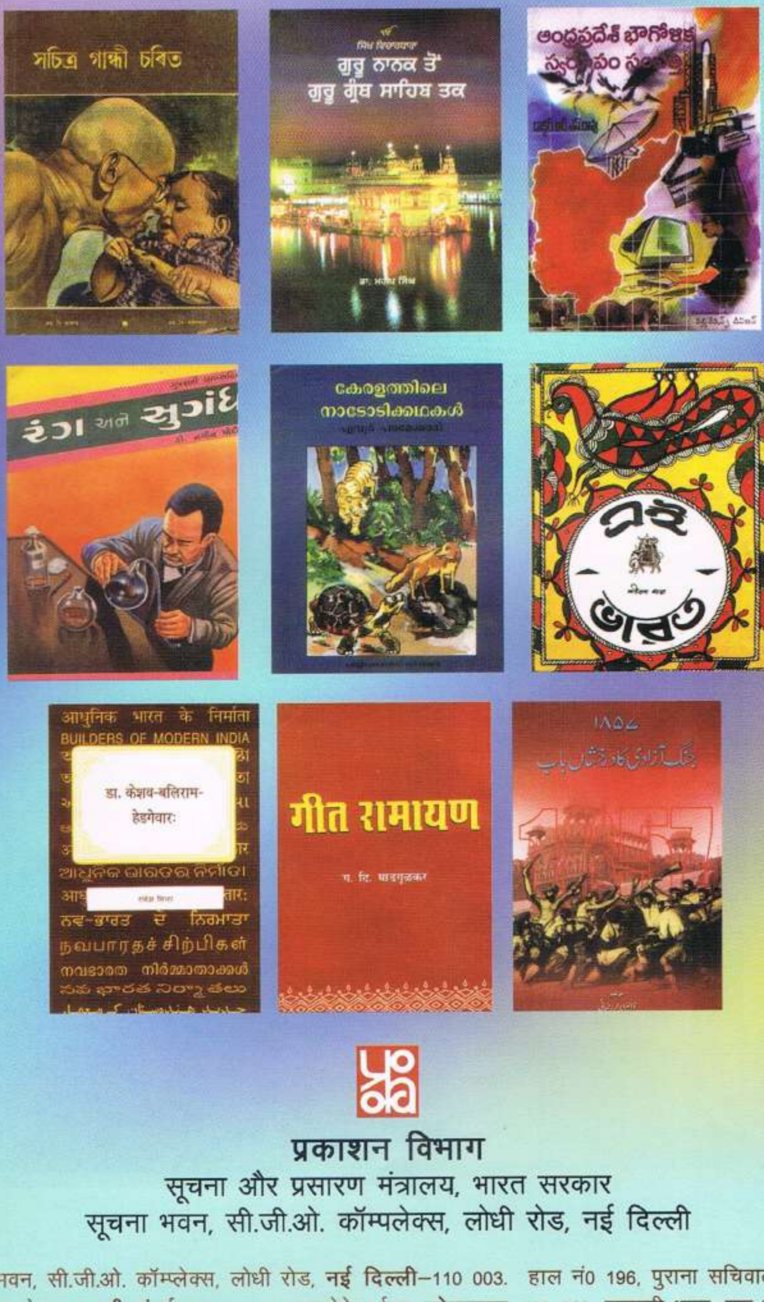

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनउ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in

e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

आर. एन. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55 / 2009–11

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना